VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

अर्थव्यवस्था का सारांश

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची

OFFLINE IN 40+ CITIES

ABHYAAS MAINS 2024

ALL INDIA MAINS

(GS + ESSAY + OPTIONAL)

MOCK TEST (OFFLINE)

PAPER DATES

GS-I & II	GS-III & IV	ESSAY	OPTIONAL-I & II
24 AUG	25 AUG	31 AUG	1 SEPT

OPTIONAL SUBJECTS

ANTHROPOLOGY | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY | MATHS | PHILOSOPHY
PHYSICS | POLITICAL SCIENCE | PUBLIC ADMINISTRATION | SOCIOLOGY

Scan to Know More and Register

- All India Percentile
- Comprehensive Evaluation
- Concrete Feedback & Corrective Measures
- Complete coverage of UPSC Mains syllabus
- Available in English/Hindi
- Live Test Discussion

Register at: www.visionias.in/abhyaas

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATARPUR (MP)
COIMBATORE | DEHRADUN | DELHI - KAROL BAGH | DELHI - MUKHERJEE NAGAR | GHAZIABAD | GORAKHPUR
GURUGRAM | GUWAHATI | HYDERABAD | INDORE | JABALPUR | JAIPUR | JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOCHI
KOLKATA | KOTA | LUCKNOW | LUDHIANA | MUMBAI | NAGPUR | NOIDA | ORAI | PATNA | PRAYAGRAJ | PUNE RAIPUR
RANCHI | ROHTAK | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VIJAYAWADA VISAKHAPATNAM

विषय-सूची

1. रोजगार, श्रम और कौशल विकास 5

1.1. अनौपचारिक रोजगार और कम-वेतन वाले कार्य 5

2. संवृद्धि और विकास 7

2.1. आर्थिक संकेतक 7

2.1.1. भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुमान 7

2.1.2. सकल स्थायी पूंजी निर्माण. 8

2.1.3. घरेलू यानी परिवारों की बचत और ऋण 9

2.1.4. घरेलू उपभोग व्यय 10

2.2. मानव विकास रिपोर्ट 2023-2024 . . . 10

2.3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 11

2.3.1. उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन. 12

2.3.2. स्मार्ट सिटी मिशन: एक मूल्यांकन: 13

2.3.3. शहरी अवसंरचना विकास निधि 14

2.3.4. प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY-शहरी) 15

3. राजकोषीय नीति 16

3.1. राज्य वित्त 16

3.1.1. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते . . 17

3.1.2. धन के पुनर्वितरण के एक साधन के रूप में विरासत कर 18

3.2. गैर-कर राजस्व 18

3.2.1. विनिवेश. 18

3.2.2. सरकारी प्रतिभूतियां 20

3.2.3. परिसंपत्ति मुद्रीकरण. 22

3.3. भारत में विनिमय दर प्रबंधन 23

3.3.1. भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन. 24

4. बैंकिंग, भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार. . 26

4.1. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन. 26

4.2. बेसल III एंडगेम 26

4.3. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 27

4.4. सीमा-पार भुगतान. 28

4.5. सोशल स्टॉक एक्सचेंज 29

4.6. क्रिप्टो परिसंपत्तियों का विनियमन . . .30

5. बाह्य क्षेत्रक. 32

5.1. भारत और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं 32

5.2. वैश्विक आर्थिक डिकप्लिंग 33

5.3. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण. 34

5.4. विकासशील देशों के ऊपर वैश्विक ऋण 35

5.5. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां. 36

6. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां 38

6.1. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) .38

6.2. भारत की अनाज भंडारण प्रणाली 39

6.3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना. 39

6.4. अंतर्देशीय मात्स्यिकी. 40

6.5. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 41

6.5.1. एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान 42

6.6. कृषि का डिजिटलीकरण. 43

7. उद्योग एवं औद्योगिक नीति 45

7.1. भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद 45

8. सेवा क्षेत्रक. 46

8.1. भारतनेट 46

8.2. चिकित्सा और आरोग्य/ कल्याण पर्यटन 46

8.3. भारत में गेमिंग उद्योग 48

9. अवसंरचना 49

9.1. भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक 49

9.2. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम 50

9.3. रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना. 50

9.4. समर्पित माल ढुलाई गलियारा. 52

9.5. मैरीटाइम अमृतकाल विज़न 2047. . . 52

9.5.1. ब्लू इकोनॉमी 2.0 53
9.5.2. अंतर्देशीय जलमार्ग 54
10. खनन एवं विद्युत क्षेत्रक 56
10.1. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 56
11. नवाचार और उद्यमिता 57
11.1. पेटेंट 57
11.2. ग्रामीण भारत में स्टार्ट-अप्स. 57

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

आपकी सहायता के लिए, हमने VisionIAS मेन्स 365 स्टडी मटेरियल से आवश्यक जानकारी का संकलन कर मेन्स 365 अर्थव्यवस्था डॉक्यूमेंट का सारांश तैयार किया है। जैसा कि आप सभी को पता है VisionIAS मेन्स 365 स्टडी मटेरियल करेंट अफेयर्स के व्यापक कवरेज के लिए प्रसिद्ध है।

यह डॉक्यूमेंट आपको प्रमुख टॉपिक को जल्दी और प्रभावी ढंग से रिवाइज करने में मदद करेगा।

इस डॉक्यूमेंट को इन्फोग्राफिक प्रारूप में डिजाइन किया गया है, जिससे आप इसमें दी गई जानकारी को आसानी से उत्तर लेखन में शामिल कर सकते हैं।

अपनी तैयारी में सुधार करने और UPSC मेन्स में अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए इन जानकारियों का उपयोग कीजिए।

1. रोजगार, श्रम और कौशल विकास (EMPLOYMENT, LABOUR, AND SKILL DEVELOPMENT)

1.1. अनौपचारिक रोजगार और कम-वेतन वाले कार्य (Informal Employment and Low-Paying Work)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- OECD द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली सुभेद्यताओं से संबंधित जोखिम का असर उनके बच्चों पर भी पड़ता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- दुनिया की अधिकांश कामकाजी आबादी अनौपचारिक क्षेत्रक में काम करती है।
- अनौपचारिक क्षेत्रक के श्रमिकों को गरीबी और आजीविका से जुड़े उच्च जोखिमों तथा सामाजिक सुरक्षा जाल के अभाव का सामना करना पड़ता है।
- **विकासशील देशों में 15 वर्ष से कम आयु के लगभग 60% बच्चे पूर्णतः अनौपचारिक श्रम करने वाले परिवारों के हैं।**
- **माता-पिता और परिवार के सदस्यों के बीच आय संबंधी असमानताएं बच्चों के जीवन में प्रारम्भिक स्तर पर शैक्षिक असमानताओं को जन्म देती हैं।**
- मिश्रित और पूर्णतः औपचारिक श्रम करने वाले परिवारों की तुलना में अनौपचारिक श्रम करने वाले परिवारों को 'शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण न मिलने का स्तर (Not in Education, Employment or Training/ NEET) अधिक होता है।
  - यहां NEET कोई शिक्षा या पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले बेरोजगार व्यक्ति को संदर्भित करता है।

शुरू से ही बच्चों को सुभेद्य बनाने के लिए जिम्मेदार चार कारक

अनौपचारिक रोजगार से संबंधित प्रत्यक्ष जोखिम	पूरी तरह से **अनौपचारिक या मिश्रित श्रम करने वाले परिवारों के बच्चों की स्कूल में उपस्थिति** औपचारिक श्रम करने वाले परिवार के बच्चों से **कम होती है**	**बच्चों की शिक्षा** के लिए कम वित्तीय संसाधन और माता-पिता कम समय दे पाना	स्कूल के बाद **काम पर जाने में लगने वाला अधिक समय**

रिपोर्ट में दिए गए सुझाव

- **निचले स्तर के कर्मचारी और उनके बच्चे पर दोहरे बोझ को कम करना**
  - **कौशल विकास पहल:** इसके लिए लक्षित नियोक्ता-प्रायोजित प्रशिक्षण और सार्वजनिक कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए।
  - **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:** अनौपचारिक क्षेत्रक में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए सुलभ, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु निवेश करना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा की समाप्ति के बाद रोजगार मिलना आसान हो सके।
  - **सामाजिक सुरक्षा उपाय:** निचले स्तर पर और अनौपचारिक क्षेत्रक में काम करने वाले कर्मचारियों को गैर-अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करना चाहिए।

» **कम-वेतन वाली नौकरियों के लिए मान्यता:** इसे कम करने के लिए अग्रलिखित कदम उठाए जा सकते हैं: पारिश्रमिक नीतियां, प्रभावी न्यूनतम मजदूरी और वेतन को लेकर सौदेबाजी करने की शक्ति।

◇ **कुशल कामगार: औपचारीकरण को प्रोत्साहित करना**

» नियम कानून का पालन: उच्च स्तरीय कर्मचारियों और नियोक्ताओं, दोनों के लिए श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा और कर नियमों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

2. संवृद्धि और विकास (GROWTH AND DEVELOPMENT)

2.1. आर्थिक संकेतक (Economic Indicators)

2.1.1. भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुमान {Gross Domestic Product (GDP) Estimation in India}

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वित्त मंत्रालय ने अप्रैल-जून 2023 के GDP डेटा की सटीकता पर चल रहे वाद-विवाद पर स्पष्टीकरण जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत की वास्तविक **GDP अप्रैल-जून में 7.8 प्रतिशत की दर** से बढ़ी है। यह आंकड़ा पिछली चार तिमाहियों में सर्वाधिक है।
- आलोचकों के अनुसार, GDP के ये आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं, क्योंकि ये **GDP संवृद्धि दर पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को सटीक रूप से प्रदर्शित** नहीं करते हैं।

GDP की गणना की तीन विधियां

- **उत्पादन या 'मूल्य-वर्धित' विधि (Production or 'Value-added' Approach):** इस विधि में उत्पादन के **प्रत्येक चरण में हुए "मूल्य-वर्धन" को जोड़ा** जाता है।
- **आय विधि (Income approach):** इस विधि के अंतर्गत **उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित कुल आय** का मापन किया जाता है।
  - भारत सरकार आर्थिक संवृद्धि की गणना के लिए वर्षों से **आय विधि का उपयोग** कर रही है।
- **व्यय विधि (Expenditure approach):** इस विधि में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर **वस्तुओं और सेवाओं पर सभी इकाइयों द्वारा किए गए कुल व्यय** का मापन किया जाता है।

GDP गणना की वर्तमान पद्धति में चुनौतियां

- **डेटा की सटीकता:** अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रकों के पुराने डेटा आर्थिक गतिविधियों की गलत तस्वीर पेश करते हैं।
- **असंगठित क्षेत्रक का लेखांकन:** वर्तमान में, GDP गणना पद्धति के अंतर्गत संगठित क्षेत्रक के डेटा का उपयोग असंगठित क्षेत्रक हेतु प्रॉक्सी के रूप में किया जाता है।
- **GDP गणना करते समय कुछ गतिविधियों को बाहर रखना (Exclusion):** मौजूदा समय में सभी उत्पादक गतिविधियों को GDP में शामिल नहीं किया जाता है।

आगे की राह

- **समय-समय पर आधार वर्ष को अपडेट करना:** गौरतलब है कि **वर्तमान समय में आधार वर्ष 2011-12** है, जो कि एक दशक से भी अधिक पुराना हो चुका है।
- **दोहरी अपस्फीति (Double deflation) को शामिल करना:** ताकि प्रासंगिक आउटपुट और इनपुट संबंधी मूल्य सूचकांकों का इस्तेमाल करके आउटपुट और इनपुट के लिए मुद्रास्फीति की अलग-अलग गणना की जा सके।
- **सटीक व ठोस डेटा:** समय पर डेटा संग्रह, भंडारण और प्रॉसेसिंग, विशेष रूप से बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीन तकनीकों की मदद से **GDP के अनुमान की सटीकता** बढ़ सकती है।
- **उत्पादक गतिविधियों का मापन:** किसी अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादक गतिविधियों को GDP आंकड़ों में शामिल किया जा सकता है। इन गतिविधियों में सभी प्रकार के आर्थिक लेन-देन, जैसे- स्वैच्छिक कार्य, अवैतनिक घरेलू कार्य आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए।

2.1.2. सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation: GFCF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में **निजी सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) की धीमी संवृद्धि** भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती रही है।

GFCF (यानी निवेश) का विकास:

- यह निवेश 1980 के दशक के GDP के **लगभग 10% से बढ़कर 2007-08 में लगभग 27%** हो गया।
- हालांकि, **2011-12 के बाद से, निजी निवेश में गिरावट शुरू हो गई** और यह 2020-21 में GDP के **19.6% के निचले स्तर पर पहुंच गया।**
  - **निजी GFCF में गिरावट के कारण:**
    - ऐतिहासिक रूप से, भारत में, **अधिक उपभोग व्यय के कारण निजी निवेश कम** रहा है।
    - **सरकारी नीति निवेश अनुकूल नहीं होने और नीति निर्माण के स्तर पर अनिश्चितता के कारण भी** निजी निवेश कम रहा है।
    - पिछले दो **दशकों में सुधारों की गति** के मंद रहने के कारण भी **निजी निवेश** में गिरावट दर्ज की गई है।

सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) क्या है?

- **सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation: GCF):** यह किसी अर्थव्यवस्था में स्थायी परिसंपत्तियों में सकल जोड़ या वृद्धि को कहा जाता है। इसमें शामिल हैं-
  - **सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF):** भूमि के मूल्य या उपयोग में वृद्धि; संयंत्र, मशीनरी और उपकरण खरीद; सड़कों का निर्माण; आदि।
  - कच्चे माल, अर्द्ध-तैयार और तैयार उत्पाद के **स्टॉक (CIS) में परिवर्तन।**
  - **कीमती वस्तुओं की निवल खरीदारी:** जैसे- सोना, रत्न, आभूषण और कीमती पत्थर आदि।

GFCF एक महत्वपूर्ण आर्थिक चर (वेरिएबल) क्यों है?

- **संवृद्धि का गुणक (Growth Multiplier): GFCF और GDP धनात्मक रूप से एक-दूसरे से संबंधित** हैं। GFCF में वृद्धि से GDP में भी वृद्धि होती है।
- **उत्पादकता और जीवन स्तर को बढ़ावा देता है:** GFCF श्रमिकों को प्रत्येक वर्ष अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में मदद करता है, उत्पादन को बढ़ावा देता है और जीवन स्तर में सुधार करता है।
- **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है:** GFCF में संवृद्धि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देती है।
- **निजी GFCF किसी अर्थव्यवस्था** में निजी क्षेत्रक द्वारा **निवेश करने की इच्छा का एक सामान्य संकेतक** हो सकता है।

GFCF की संवृद्धि को बाधित करने वाले कारक

- **सुधारों की धीमी गति:** विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण में सुधारों की धीमी गति ने निवेशकों को अर्थव्यवस्था में निवेश करने से हतोत्साहित किया है।
- **भारतीय बैंकों और कई बड़ी कंपनियों की वित्तीय समस्याएं:** इस समस्या की वजह से बाजार में उपलब्ध पूंजी अप्रत्यक्ष रूप से स्थिर हो जाती है और इस पूंजी का नई परियोजनाओं में फिर से निवेश नहीं हो पाता है।
- **उच्च ब्याज दर पर उधार मिलना:** ऋण लेने की उच्च लागत से आशय है उच्च ब्याज दरों पर उधार मिलना, जो आगे उच्च मुद्रास्फीति से प्रभावित होती है।

निष्कर्ष

सतत पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, मुद्रास्फीति जैसे अन्य व्यापक आर्थिक कारकों में स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ आर्थिक सुधारों को लागू करना आवश्यक है।

2.1.3. घरेलू यानी परिवारों की बचत और ऋण (Household Savings and Debt)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि **वित्तीय एवं आर्थिक स्थिरता के दृष्टिकोण से घरेलू यानी परिवारों द्वारा लिए गए ऋण पर सूक्ष्म निगरानी** की आवश्यकता है।

घरेलू (हाउसहोल्ड) बचत और ऋण क्या हैं?

- भारत में घरेलू बचत (Household Savings: HS) के **दो मुख्य भाग** होते हैं- निवल वित्तीय बचत (Net Financial Savings: NFS) और भौतिक बचत (Physical Savings: PS)।
- HS-NFS की गणना सकल वित्तीय बचत (Gross Financial Savings: GFS) से वित्तीय देनदारियों (वार्षिक उधार) को घटाने के बाद की जाती है।
  - GFS में मुद्रा, जमा-राशि (बैंक और गैर-बैंक), बीमा, भविष्य निधि और पेंशन निधि, शेयर और डिबेंचर, लघु बचत, आदि शामिल होते हैं।
- HH-PS में मुख्य रूप से आवासीय अचल संपत्ति (लगभग दो-तिहाई हिस्सा) और मशीनरी एवं उपकरण शामिल होते हैं।

हाउसहोल्ड बचत और ऋण की स्थिति

- **सकल बचत:** भारत की सकल बचत दर 2022-23 में सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (Gross National Disposable Income: GNDI) का 29.7% रही। इसमें परिवार **प्राथमिक बचतकर्ता** थे और कुल बचत में उनका हिस्सा 60.9% था।
- **बचत घटक:** भौतिक परिसंपत्तियों में बचत एक मुख्य एवं बढ़ता हुआ घटक रहा है।
- **निवल वित्तीय बचत:** 2013-22 के दौरान NFS औसत रूप से 8% था, जो घटकर 2022-23 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 5.3% हो गया।
  - NFS में यह गिरावट वित्तीय देनदारियों में तेजी से वृद्धि के कारण हुई, जो 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.8% से बढ़कर 2022-23 में 5.8% हो गई।
- **परिवार द्वारा ऋण:** भारत में परिवारों द्वारा लिए गए ऋण का बोझ सकल घरेलू उत्पाद के 40.1% के बराबर है। हालांकि, यह प्रतिशत अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।
  - हालांकि, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में यह प्रतिशत तुलनात्मक रूप से अधिक है।
- **ऋण-GDP अनुपात:** भारत का हाउसहोल्ड ऋण-GDP अनुपात दुनिया में सबसे कम है। लगभग 6.7% रहा है। मार्च, 2023 के अंत में ऋण सेवा अनुपात (DSR) भी 6.7% होने का अनुमान है, जो अपेक्षाकृत कम है।

अधिक या उच्च हाउसहोल्ड ऋण के निहितार्थ

- **कम प्रयोज्य आय** के कारण घरेलू क्रय शक्ति में कमी आती है, जिससे उपभोग संबंधी मांग प्रभावित होती है।
- परिवार पर ऋण के उच्च बोझ का स्तर वित्तीय सुभेद्यता तथा भविष्य में मंदी का कारण बन सकता है।
- यदि किसी परिवार की आय में अचानक कमी आ जाती है, तो वह अपने ऋण का भुगतान करने में चूक कर सकता है। इसके अलावा, यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो परिवारों के लिए अपने ऋणों पर ब्याज का भुगतान करना अधिक कठिन हो जाता है। **हाउसहोल्ड ऋण** से जुड़े इस तरह के जोखिम से मैक्रोइकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है।

आगे राह

- ऐसी नीतियों को लागू करना जो रोजगार सृजन को बढ़ावा दें, वास्तविक आय में वृद्धि करें और समाज के हर वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार करें।
- बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करके बचत को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित आबादी के लिए।

- परिवारों को शिक्षित करना और विवेकपूर्ण तरीके से ऋण लेने की पद्धति को बढ़ावा देना।
- सरकार बेहतर राजकोषीय नीति लागू करके उधार संबंधी अपनी आवश्यकताओं को कम कर सकती है, जिससे समग्र ब्याज दरें कम हो सकती हैं।

2.1.4. घरेलू उपभोग व्यय (Household Consumption Expenditure: HCE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने 10 वर्षों के अंतराल के बाद **HCES 2022-23** जारी किया है। इससे पहले, उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2011-12 में जारी किया गया था।

HCES 2022-23 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **समग्र रुझान** (Trend): औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) में **1999-2000 से बढ़ोतरी** जारी है।
  - **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** औसत MPCE **ग्रामीण भारत में 3,773 रुपये** और **शहरी भारत में 6,459 रुपये** है।
  - **अमीर-गरीब विभाजन:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 5% सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे गरीब 5% व्यक्ति की तुलना में क्रमशः लगभग 8 गुना (ग्रामीण) और 10 गुना (शहरी) अधिक खर्च करते हैं।
- **वंचित वर्गों के बीच उपभोग व्यय:** ग्रामीण क्षेत्रों में **अनुसूचित जनजातियों (STs) का MPCE सबसे कम है।** शहरी क्षेत्रों में, अनुसूचित जातियों (SCs) का MPCE सबसे कम है।

HCES 2022-23 की उपयोगिता:

- ये डेटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP), गरीबी स्तर और उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जैसे कई **महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों की समीक्षा** में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

2.2. मानव विकास रिपोर्ट 2023-2024 {Human Development Report (HDR) 2023-2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने **मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2023-2024 जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है: "ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक: रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड"।**

मानव विकास सूचकांक (HDI) के बारे में

- **HDI क्या है:** यह मानव विकास के लिए एक सांख्यिकीय माप विधि है। इसका उपयोग मानव विकास के 3 मूलभूत आयामों (Basic dimensions) में किसी देश की उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। **ये मूलभूत आयाम हैं:**
  - दीर्घायु और स्वस्थ जीवन (Long and healthy life),
  - ज्ञान (Knowledge), तथा
  - सम्मानजनक जीवन स्तर (Decent standard of living)।
- **HDI की कमियां: HDI मानव विकास के केवल कुछ पहलुओं के बारे में ही बताता है। यह असमानता, गरीबी, मानव सुरक्षा, सशक्तीकरण जैसे विषयों को शामिल नहीं करता है।**

HDR 2023-2024 में भारत की स्थिति

- HDI: भारत की HDI रैंकिंग में सुधार हुआ है। 2021 में भारत 135वें स्थान पर था, जो सुधरकर 2022 में 134वां हो गया। वहीं 2018 में भारत 130वें स्थान पर था।
  - **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा:** 2021 के 67.2 वर्ष से बढ़कर 2022 में 67.7 वर्ष हो गई।
  - **स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष:** 2021 के 11.9 वर्ष से बढ़कर 2022 में 12.6 वर्ष हो गए।
  - **स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष:** यह 2022 में बढ़कर 6.57 वर्ष हो गए हैं।
  - **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय:** 2021 की तुलना में 2022 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हुई है, जो 6,542 डॉलर से बढ़कर 6,951 डॉलर हो गई।
- **पड़ोसी देशों के साथ तुलना:** भारत की रैंकिंग चीन (75), श्रीलंका (78), मालदीव (87), भूटान (125) और बांग्लादेश (129) से भी नीचे है।

HDR 2023-2024 में वैश्विक स्थिति

- **मानव विकास में बढ़ती असमानता:** दो दशकों से अमीर और गरीब देशों के बीच **असमानताओं को लगातार कम करने में हुई प्रगति रुक गई है** और **यह असमानता बढ़ने लगी है।**
- **लोकतांत्रिक विरोधाभास की प्रवृत्ति में वृद्धि:** इस विरोधाभास के साथ-साथ शक्तिहीनता की भावना और सरकारी निर्णयों में भागीदारी की कमी से राजनीतिक ध्रुवीकरण व अंतर्मुखी नीतियों को बढ़ावा मिला है।
  - लोकतांत्रिक विरोधाभास (Democracy Paradox) का अर्थ है कि **देश की आबादी लोकतंत्र के बारे में सकारात्मक विचार रखती है लेकिन लोकतंत्र को कमजोर करने वाले नेताओं का समर्थन** करती है।

मानव विकास का मापन करने वाले अन्य प्रमुख सूचकांक

सूचकांक	भारत का प्रदर्शन
लैंगिक असमानता सूचकांक	2022 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत 2022 में **108वें स्थान पर** पहुंच गया, जबकि 2021 में **122वें स्थान** पर था।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक	**2021 में** भारत में **230 मिलियन से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे थे।**
लैंगिक विकास सूचकांक	भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच **HDI संबंधी उपलब्धियों में समानता का स्तर कम है। HDI उपलब्धियों के मामले पुरुष, महिलाओं से 10 प्रतिशत बेहतर स्थिति में हैं।**
असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक	IDHI में **भारत की रैंकिंग 140वीं है। रैंकिंग में 6 स्थानों की गिरावट** दर्ज की गई है।
ग्रहीय दबाव-समायोजित मानव विकास सूचकांक	**भारत 127वें स्थान पर है। भारत के PHDI और** HDI स्कोर में **3 प्रतिशत का अंतर है।**

2.3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer: DBT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** को अपनाकर 2014 से 2023 तक करदाताओं के 2.73 लाख करोड़ रुपये बचाए हैं। DBT के तहत लक्षित लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में धन भेजकर वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है।

DBT के बारे में

- **उद्देश्य:** केंद्र सरकार द्वारा **लाभार्थियों को आवंटित धन के वितरण में पारदर्शिता लाना और हेर-फेर की गुंजाइश को समाप्त** करना।
- **DBT को सक्षम बनाने वाले घटक:**
  - **JAM (जन-धन, आधार और मोबाइल) ट्रिनिटी:** JAM त्रयी की सहायता से लाभ अंतरण में रिसाव की समस्या समाप्त हो गई है, लक्षित लोगों तक योजना का लाभ पहुंचने लगा है। साथ ही, इससे नकदी रहित और समयबद्ध ढंग से लाभ का हस्तांतरण संभव हो पाया है।
  - **बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BC) इंफ्रास्ट्रक्चर:** बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभार्थियों को समय पर, उनके घर पर ही और पूरा पैसा ट्रांसफर किया जाए।
  - **भुगतान बैंक:** इसके चलते देश के दूर-दराज के इलाकों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार में वृद्धि हुई है।

DBT का प्रभाव

- **शीघ्र धन अंतरण:** DBT ने धोखाधड़ी की संभावना को कम करते हुए सुरक्षित रूप से धन और सूचना के प्रवाह को तेज कर दिया है। साथ ही, सरकार से लाभार्थी को **धन हस्तांतरित करने की लागत** भी कम हो गई है।
- **भ्रष्टाचार में कमी:** इससे पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिली है।
  - इसने सरकारी अधिकारियों सहित बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।
  - लाभार्थी फंड्स पाने के लिए अपने आधार से लिंक बैंक खाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सब्सिडी के दोहराव से बचने में मदद मिली है।
- ई-गवर्नेंस के माध्यम से **वित्तीय समावेशन** और नागरिकों के सशक्तीकरण को बढ़ाना।

DBT के कार्यान्वयन में चुनौतियां

- योजनाओं में विसंगतियों के कारण **लाभार्थियों की पहचान।**
- **अनुपालन और परिचालन संबंधी मुद्दे:** आधार से संबंधित त्रुटियां (जैसे कि फिंगरप्रिंट मिसमैच)।
- अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में **वित्तीय समावेशन की कमी तथा डिजिटल विभाजन** का होना आदि।

आगे की राह

- **शिकायत निवारण तंत्र:** प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा एक समुचित ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए तथा उसका समन्वय करना चाहिए।
- **बेहतर समन्वय और सहभागिता:** सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है।
- **महिला एजेंट्स को बढ़ावा देना:** महिला लाभार्थियों तक पहुंच में सुधार के लिए क्षेत्र में महिला एजेंट्स की संख्या बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

2.3.1. उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion in Emerging Technologies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ट्राई (TRAI) ने **"उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन"** पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

- उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन का महत्त्व
- विशेषकर उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में रोजगार के अवसर।
- **शिक्षा की लागत में कमी** आ सकती है। साथ ही, यह डिजिटल विभाजन को भी कम कर सकती है।
- डिजिटल समावेशन स्वास्थ्य देखभाल की **पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता में सुधार** कर सकता है।

उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन प्राप्त करने से जुड़ी चुनौतियां

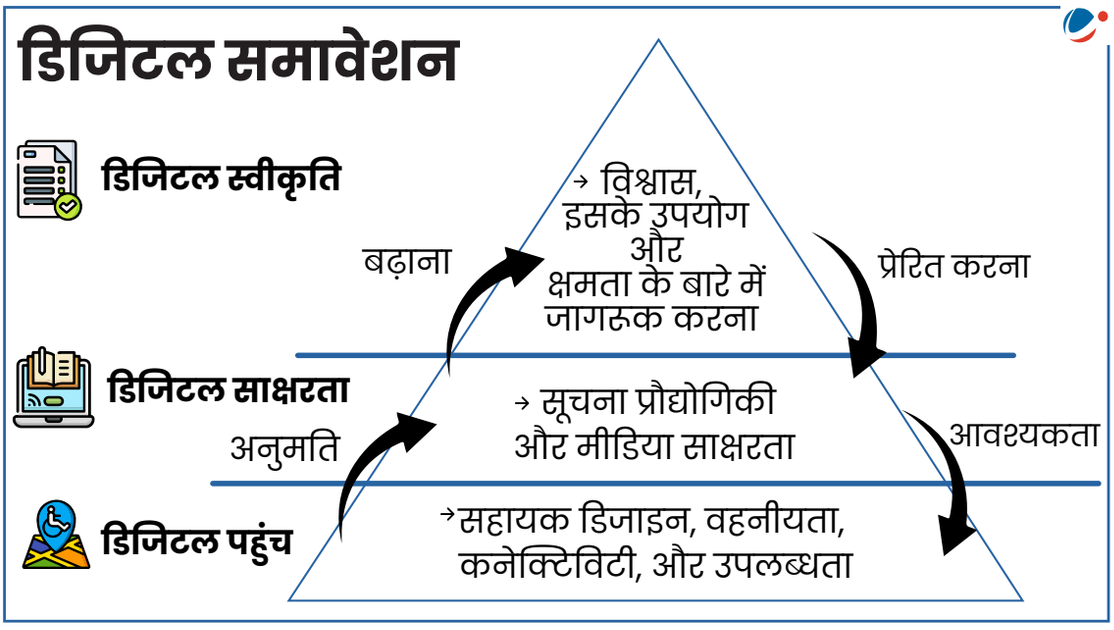

- **डिजिटल विभाजन का अधिक होना:** 2021 में, 49% भारतीय वयस्क पुरुषों की तुलना में केवल 26% महिलाओं के पास स्मार्टफोन थे। इससे लैंगिक असमानता का पता चलता है।
- मोबाइल टावरों के **फाइबराइजेशन की कमी** के कारण इंटरनेट एक्सेस की गुणवत्ता में बाधा आती है।
- फाइबराइजेशन वस्तुतः ऑप्टिकल फाइबर केबल की सहायता से रेडियो टावरों को एक-दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया है।
- भारत में 2022 में, **इंटरनेट युक्त** सबसे सस्ते **स्मार्टफोन की कीमत लोगों की औसत मासिक आय के 35.91 प्रतिशत** के बराबर थी।
- **सीमित डिजिटल साक्षरता:** यह विकसित और विकासशील दोनों बाजारों में डिजिटल समावेशन के लिए एक प्रमुख बाधा है।

आगे की राह

- **हाई-स्पीड इंटरनेट संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए** सार्वजनिक और निजी वित्त-पोषण महत्वपूर्ण है।
- **कर छूट:** इंटरनेट और स्मार्टफोन के उपयोग को हतोत्साहित करने वाले कुछ विशिष्ट करों (जैसे- आयात शुल्क) और शुल्कों को कम करना आवश्यक है।
- **हितधारकों का सहयोग:** सरकार, दूरसंचार उद्योग, बहुराष्ट्रीय निगमों और गैर-सरकारी संगठनों को नौकरशाही बाधाओं को दूर करने के लिए सहयोग करना चाहिए।

2.3.2. स्मार्ट सिटी मिशन: एक मूल्यांकन {Smart Cities Mission (SCM): An Evaluation}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवासन और शहरी कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने **"स्मार्ट सिटी मिशन:** एक मूल्यांकन" शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

रिपोर्ट में रेखांकित प्रगति के मुख्य बिंदु

- **वित्तीय प्रगति:** केंद्र सरकार ने दिसंबर, 2023 तक अपने प्रस्तावित हिस्से में से 86% जारी कर दिया था।
  - **केवल 28 शहरों को राज्यों/ शहरी स्थानीय निकायों से अपने हिस्से का 100% धन प्राप्त हुआ है।**
- **वित्त-पोषण के अतिरिक्त स्रोत का अभाव:** परियोजना में शामिल **लगभग आधे शहर सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत कोई परियोजना शुरू नहीं** कर सके हैं, वहीं केवल **छह शहर स्मार्ट शहर परियोजनाओं के लिए ऋण के माध्यम से धन जुटाने** में सफल रहे हैं।

- **भौतिक प्रगति:** दिसंबर, 2023 तक स्मार्ट शहरों द्वारा शुरू की गई 7,970 परियोजनाओं में से 6,419 परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं।
  - **मदुरै एकमात्र स्मार्ट शहर है जिसने अपनी 100% परियोजनाएं पूरी कर ली है।**

स्मार्ट सिटी मिशन को प्रभावित करने वाली समस्याएं और चुनौतियां

- **परियोजनाओं में बार-बार बदलाव:** शहरों ने शुरुआत में लगभग 5,151 परियोजनाओं को पूरा करने की योजना बनाई थी। हालांकि, आरंभिक योजना में संशोधन और बदलाव के कारण परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 7,970 हो गई हैं।
- **वित्तीय प्रगति का अभाव:** धन अंतरण की गति धीमी रही है क्योंकि कुछ शहरों को उनके लिए निर्धारित फंड के 50% से भी कम राशि प्राप्त हुई है।
- **प्रगति के स्तर पर शहरों के बीच असमानता:** सबसे कम रैंकिंग वाले **20 शहरों की लगभग 47% परियोजनाएं क्रियान्वयन यानी वर्क आर्डर चरण में** ही हैं।
- **स्पेशल पर्पज व्हीकल की स्पष्ट गवर्निंग संरचना का अभाव** है। इसके कारण परियोजना का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है।

सिफारिशें/ आगे की राह

- स्मार्ट सिटी के मूल तत्वों के आधार पर ग्रीनफील्ड शहरी विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए।
- नवीन तंत्रों तथा समावेशी डिजाइन के उपयोग के माध्यम से रचनात्मक पुनर्विकास को अपनाना।
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई अलग-अलग परियोजनाओं का **थर्ड पार्टी से मूल्यांकन कराना चाहिए।**
- स्मार्ट सिटीज़ मिशन को पूरे शहर की परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसमें शहर का व्यापक और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरे शहर में **प्रौद्योगिकी-आधारित सॉल्यूशन्स को अपनाने एवं उन्हें लागू करने पर** जोर देना चाहिए।
  - **वर्तमान में, पूरे शहर को कवर करने वाली परियोजनाएं 76 स्मार्ट शहरों में कुल परियोजनाओं का 50 प्रतिशत हिस्सा भी नहीं हैं।**
- **शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं को मजबूत करने** तथा **नवाचारी वित्त-पोषण तंत्र** का लाभ उठाने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए।
- इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट (ISCAC) जैसे **इंसेंटिव्स/ प्रोत्साहन** प्रदान करना।

2.3.3. शहरी अवसंरचना विकास निधि (Urban Infrastructure Development Fund: UIDF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने 10,000 करोड़ के परिव्यय **से शहरी अवसंरचना विकास निधि** (UIDF) का संचालन शुरू कर दिया है।

शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) के बारे में

- **उद्देश्य:** अवसंरचना के निर्माण के लिए **वित्त-पोषण का एक स्थिर और अनुमानित स्रोत प्रदान करके** राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को आगे बढ़ाना।
- **कवरेज (जनगणना 2011 के अनुसार शहरों की जनसंख्या):**
  - **459 टियर 2 शहर** (जनसंख्या 1 लाख से 9,99,999 के बीच)
  - **580 टियर 3 शहर** (जनसंख्या 50,000 से 99,999 के बीच)
- **अनुमति प्राप्त गतिविधियां: सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति एवं स्वच्छता** जैसी बुनियादी सेवाओं तथा **प्रभाव-उन्मुख परियोजनाओं को प्राथमिकता** दी जाएगी।

टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए UIDF की आवश्यकता/ प्रासंगिकता

- टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास से महानगरों में होने वाले पलायन पर रोक लगेगी।
  - **2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 40% शहरी आबादी टियर-2 और टियर-3 शहरों में रहती है।**
- अधिकांश टियर 2 और 3 शहरों की निधियों तक पहुंच का अभाव है।
- इन शहरों की नगरपालिका प्राधिकरणों में अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने, क्रियान्वयन और प्रबंधन करने की क्षमता का अभाव है।

निष्कर्ष

UIDF भारत में शहरीकरण की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए, सभी हितधारकों को इसके कार्यान्वयन में प्रभावी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

2.3.4. प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY-शहरी) {Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-Urban)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवासन और शहरी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि PMAY(U) के तहत बनने वाले घरों को तब तक पूरा हुआ नहीं माना जाए, जब तक उनमें बुनियादी सुविधाएं (जैसे- शौचालय, जल आपूर्ति, बिजली और रसोई) उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

"प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी" से जुड़ी चिंताएं/ समस्याएं

- **आवास निर्माण में देरी:** उदाहरण के लिए- मेघालय में 4,554 घरों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी, जुलाई 2024 तक केवल 1,631 घर ही पूरे होने की संभावना है।
- **बनाए गए घरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव:** दिसंबर, 2022 तक बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते लगभग 5.62 लाख आवास इसके लाभार्थियों को आवंटित नहीं किए जा सके।
- **अपर्याप्त वित्तीय सहायता और भ्रष्टाचार** के साथ-साथ अनियमितताओं के कई उदाहरण हैं।
- **इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) घटक के तहत कम संख्या में घरों के निर्माण को मंजूरी** दी गई। 14.35 लाख घरों की मांग की तुलना में केवल 4.33 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी।

आगे की राह

- आवासों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने तथा निर्मित आवासों को जल्दी से सौंपने के लिए **आउटपुट के बजाय आउटकम पर ध्यान केंद्रित करना।**
- **निगरानी:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को PMAY-शहरी के तहत परियोजनाओं की देखरेख, समीक्षा और निगरानी के लिए शहरी विकास पर **जिला स्तरीय सलाहकार और निगरानी समिति (District Level Advisory and Monitoring Committee: DLAMC) गठित करने का निर्देश** दिया गया है।
- **सोशल ऑडिट:** निधि जारी करने और परियोजनाओं को पूरा करने में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए PMAY-U के तहत लंबित/ चालू परियोजनाओं का जल्द-से-जल्द सोशल ऑडिट करने की आवश्यकता है।

3. राजकोषीय नीति (FISCAL POLICY)

3.1. राज्य वित्त (State Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने **'राज्य वित्त: 2023-24 के बजट का अध्ययन'** शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की थीम है **'भारतीय राज्यों की राजस्व डायनामिक्स और राजकोषीय क्षमता'।**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन (Prudent Fiscal Management): 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP)** की तुलना में राज्यों के **'सकल राजकोषीय घाटा' अनुपात** (GFD-GDP ratio) **में गिरावट** आई है। यह अनुपात **2020-21 में 4.1% था, जो कम होकर 2021-22 में 2.8%** हो गया।
- **पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि (Increased Capital Outlay):** बजटीय अनुमान के अनुसार, 2023-24 में पूंजीगत परिव्यय में **42.6% की वृद्धि** होगी। यह GDP के 2.9 प्रतिशत के बराबर है।
- **राज्यों की कुल बकाया देनदारियां (ऋण, ब्याज भुगतान) (States' Total Outstanding Liabilities):** राज्यों का **ऋण-GDP अनुपात** मार्च 2023 के अंत तक **कम होकर 27.5%** रह गया। **मार्च 2021 के अंत में यह 31%** था। राजस्व सुधारों यानी राजस्व संग्रह और राजस्व व्यय में सुधारों ने इस कमी में मुख्य भूमिका निभाई है।
- **निवल बाजार उधारी (Net Market Borrowings):** निवल बाजार उधारी पर राज्यों की निर्भरता पहले काफी बढ़ गई थी। यह 2019-20 में GFD का 90 प्रतिशत थी जो घटकर 2023-24 के बजट अनुमान के अनुसार **GFD का 76%** रह गई है।

राज्य-वित्त से संबंधित चिंताएं

- **गैर-कर राजस्व संग्रह का कम होना:** भारत में पिछले 10 वर्षों से GDP की तुलना में **गैर-कर राजस्व संग्रह का अनुपात** लगभग 1 प्रतिशत रहा है।
- **विकास संबंधी व्यय में कमी:** शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति आदि के लिए बजट आवंटन में कमी की गई है।
- यदि सभी राज्य सरकारें NPS को छोड़कर **पुरानी पेंशन योजना (OPS)** को अपनाती हैं तो उन सबका सामूहिक **राजकोषीय बोझ NPS के मुकाबले 4.5 गुना** तक बढ़ सकता है।
- **बजटेतर उधार का बढ़ना:**
  - बजटेतर (Off-Budget) उधार से आशय **उन उधारियों से है, जिनका बजट में उल्लेख नहीं होता है।**

दीर्घविधि में राज्य वित्त में सुधार हेतु सुझाव

- बिजली, पानी और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर **उपयोगकर्ता शुल्क बढ़ाकर गैर-कर राजस्व में वृद्धि की जा सकती है।**
- **अवैध खनन के कारण राजस्व को होने वाले नुकसान को कम करने** और उन पर रोक लगाने के लिए GIS और ड्रोन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना चाहिए।
- **स्थानांतरण संबंधी निर्णय प्रदर्शन के आधार पर** लिए जाएंगे, जिसमें सुधार, व्यय की गुणवत्ता और राजकोषीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **एन. के. सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करना:** केंद्र और राज्यों का संयुक्त **"ऋण-GDP अनुपात"** 2023 तक कम करके 60 प्रतिशत किया जाना चाहिए। इसमें **केंद्र के लिए 40 प्रतिशत और राज्यों के लिए 20% की सीमा** निर्धारित थी।

3.1.1. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (Advance Pricing Agreements: APAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भारतीय करदाताओं के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड 125 **अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते** पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें एकतरफा और द्विपक्षीय APAs, दोनों शामिल हैं।

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APA) के बारे में

- यह **करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक समझौता** है। APA मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्धारित करके **ट्रांसफर प्राइसिंग** निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास करता है।
- **ट्रांसफर प्राइसिंग** उन कंपनियों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय मूल्य है जो समान स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन हैं।
- APA अधिकतम पांच आगामी वर्षों के लिए **अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन आर्म्स लेंथ प्राइसिंग (ALP)** निर्धारित करने में मदद करता है।
  - ALP के अनुसार, दो संबंधित पक्षों के बीच लेन-देन हेतु सहमत मूल्य, दो असंबंधित पक्षों के बीच तुलनीय लेन-देन में सहमत मूल्य के समान होना चाहिए।

APAs का महत्त्व

करदाता के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की कर योग्य राशि के संबंध में स्पष्टता संभावित **दोहरे कराधान के जोखिम को कम करती है।**	APAs से विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के लिए **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा** मिलता है।	**कंपनियों के लिए नियमों के अनुपालन लागत में कमी** आती है।	भविष्य में कर मुकदमेबाजी कम होने के कारण, कर अधिकारियों को ऑडिट कार्यों पर कम समय देना होगा जिससे **कर प्रशासन की लागत में कमी** आएगी।

भारत में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता व्यवस्था:

- इसके तहत, CBDT और किसी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने वाले किसी भी व्यक्ति के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- **योजना की प्रकृति: APA** प्रक्रिया स्वैच्छिक है और ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद को हल करने के लिए अपील और अन्य दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) तंत्र की पूरक हैं।
- **APA की अवधि:** अधिकतम पांच वर्ष।

पारस्परिक समझौते की प्रक्रिया (Mutual Agreement Procedure: MAP)

- MAP **दोहरे कराधान विवादों के समाधान हेतु करदाताओं के लिए उपलब्ध एक अन्य विकल्प** है। यह न्यायिक या आर्थिक, दोनों तरीके से विवादों के समाधान का विकल्प प्रदान करता है।
- **MAP कर-संधियों (उदाहरण के लिए- DTAA) में निर्धारित एक तंत्र** है जो यह सुनिश्चित करता है कि कराधान कर संधि के अनुसार है।
- **MAP और APA के बीच अंतर:**
  - MAP ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों का समाधान करता है जबकि APAs ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों को उत्पन्न होने से रोकता है।

भारत में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते से जुड़ी समस्याएं:

- **जटिल अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन:** इसके चलते आर्म्स लेंथ प्राइस को सटीक रूप से निर्धारित करना कठिन हो जाता है।
- **आंतरिक समन्वय का अभाव:** इससे करदाताओं के लिए अनिश्चितता पैदा होती है और APA वार्ता बाधित होती है।
- **APAs की प्रोसेसिंग में देरी:** कम मानव संसाधन की वजह से देरी होती है।

3.1.2. धन के पुनर्वितरण के एक साधन के रूप में विरासत कर (Inheritance Tax as a tool of Wealth Redistribution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक असमानता को कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ प्रांतों में लगाए गए **विरासत कर** की तरह भारत में भी विरासत कर प्रणाली लागू करने पर चर्चा हो रही है।

विरासत कर (Inheritance Tax) क्या है?

- **किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर** उसके उत्तराधिकारियों को **विरासत में मिली जायदाद/ संपत्ति** पर **विरासत कर** लगाया जाता है। यह **एस्टेट टैक्स** से अलग है। **एस्टेट टैक्स मृत व्यक्ति की संपत्ति या एस्टेट के कुल मूल्य पर** लगाया जाता है।
- इसे कई देशों में अपनाया गया है, जैसे- जापान में विरासत कर की दर 55% तथा दक्षिण कोरिया में 50% है।

विरासत कर के लाभ

- सरकार के लिए **राजस्व सृजन** को बढ़ावा देना और विरासत में मिली **संपत्ति के एक हिस्से को सार्वजनिक कार्यक्रमों और सेवाओं के निधियन** हेतु पुनर्वितरित करके धन असमानता को कम करना।
- **मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा** देने के लिए **एक समान स्थिति** और **उत्पादक निवेश को प्रोत्साहित करना।**
- पीढ़ियों के बीच संसाधनों को समान रूप से वितरित करके **अंतर-पीढ़ीगत समानता** सुनिश्चित करना।

विरासत कर के प्रभाव

- कर की उच्च दर के कारण **कर चोरी बढ़ सकती है।** साथ ही, लोग इससे **कर का भुगतान करने के लिए कम मूल्य में अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर** हो सकते हैं।
- **बचत और निवेश हतोत्साहित होगा:** यदि विरासत में प्राप्त संपत्ति पर उच्च विरासत कर लगाया जाता है, तो लोग संपत्ति का संचय करने में रुचि नहीं रखेंगे।
- **व्यवसाय पर प्रभाव:** कई व्यवसायी, करों से बचने के लिए अपने व्यवसाय को विदेशों में स्थापित कर सकते हैं। साथ ही लोग कर देनदारियों का भुगतान करने के लिए परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसायों को बेचने या उसका बंटवारा करने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं।
- **दोहरे कराधान से जुड़ी चिंताएं:** आलोचकों का तर्क है कि विरासत कर दोहरे कराधान को बढ़ावा देता है, क्योंकि हस्तांतरित की जा रही संपत्ति पर पहले से ही आय और अन्य कर वसूले जा चुके होते हैं।

3.2. गैर-कर राजस्व (Non-tax Revenue)

3.2.1. विनिवेश (Disinvestment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए निर्धारित अपने विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो सकती है। अब तक विनिवेश से केवल लगभग 10,000 करोड़ रुपये ही जुटाए जा सके हैं, जबकि वित्त वर्ष 2024 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 51,000 करोड़ रुपये था।

विनिवेश: क्या, क्यों और कैसे?

विनिवेश

विनिवेश क्या होता है?

- **विनिवेश** उसे कहा जाता है, जब सरकार या कोई संस्था किसी कंपनी की अपनी हिस्सेदार को बेचती है। इसके लिए मुख्य रूप से दो अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं:-
- **रणनीतिक विनिवेश:** इसका तात्पर्य है-
  - **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) में** सरकार की शेयरधारिता का **संपूर्ण या बड़ा हिस्सा** किसी निजी खरीदार को बेचना।
  - साथ ही, उस CPSE का **प्रबंधन नियंत्रण** भी उस निजी खरीदार को हस्तांतरित कर देना।
- **माइनॉरिटी विनिवेश:** इसके तहत सरकार कंपनी में 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी अपने पास बनाए रखती है।

विनिवेश क्यों किया जाता है?

- ऐसा **राजकोषीय बोझ** में कमी लाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे प्राप्त धन का उपयोग राजकोषीय घाटे के वित्त-पोषण के लिए किया जा सकता है।
- स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अन्य उत्पादक क्षेत्रकों में **संसाधनों का आवंटन बढ़ाने** के लिए।
- अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उनकी **क्षमता से कम उपयोग** के चलते भी विनिवेश किया जाता है।
- **गैर-रणनीतिक क्षेत्रकों और निष्क्रिय** पड़ी सार्वजनिक क्षेत्रक की परिसंपत्तियों में सरकार की संलग्नता को समाप्त करने के लिए।
- दीर्घावधि में **गैर-आवश्यक सेवाओं को गैर-राजनीतिक बनाने के लिए।**

विनिवेश के तरीके

- **प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (Initial Public Offering: IPO):** इसके तहत गैर-सूचीबद्ध CPSE (Central Public Sector Enterprises/ सार्वजनिक क्षेत्रक के केंद्रीय उपक्रम) के शेयरों की पहली बार बिक्री की जाती है।
- **फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग (FPO):** इसके तहत किसी सूचीबद्ध CPSE के नए शेयरों को जनता के समक्ष बिक्री हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
- **ऑफर फॉर सेल (OFS)** इसके तहत स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म पर शेयरों की नीलामी की अनुमति दी जाती है।
- **रणनीतिक बिक्री** के तहत सरकारी शेयरधारिता के बड़े हिस्से की बिक्री की जाती है। इसमें प्रबंधन पर नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ 50% या उससे अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्रक को हस्तांतरित की जाती है।
- **संस्थागत प्लेसमेंट कार्यक्रम (Institutional Placement Program: IPP):** इसके तहत केवल वित्तीय संस्थान ही पेशकश में भाग ले सकते हैं।
- **CPSEs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF):** इसके तहत एकल ETF की पेशकश के जरिए अलग-अलग क्षेत्रकों से संबंधित विविध CPSEs में सरकार अपनी हिस्सेदारी की एक साथ बिक्री करती है।

विनिवेश संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के समक्ष चुनौतियां

- **वैश्विक घटनाक्रम:** महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता, भू-राजनीतिक संघर्ष और इससे जुड़े जोखिम।
- **मूल्यांकन पर बहस:** अक्सर सरकार पर राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के कम मूल्यांकन के आरोप लगते हैं, जिसका मुख्य कारण **अधिशेष परिसंपत्तियों (भूमि और भवन) पर विचार न करना** और **मुख्य तथा गैर-मुख्य परिसंपत्तियों को अलग-अलग न करना** है।
- **नौकरियां जाने की आशंका और निजी एकाधिकार के उभरने की चिंता के कारण संभावित श्रमिक हड़तालों की चिंता है।**
- **नौकरी छूटने की आशंका और निजी एकाधिकार की आशंका के कारण श्रमिक अशांति का भय।**

विनिवेश में सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले उपाय

- नीति आयोग के अनुसार, **खराब स्थिति वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों को बंद करना** चाहिए तथा व्यवहार्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों का रणनीतिक विनिवेश किया जाना चाहिए।
- जिन क्षेत्रों में कई निजी कंपनियां पहले से ही सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, वहां **सरकार को संबंधित कंपनियों का विनिवेश कर देना** चाहिए।
- **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)** के तहत, निजी कंपनियों की दक्षता का उपयोग करके इन परिसंपत्तियों से अधिक लाभ कमाया जा सकेगा।
- CPSEs को केवल विनिवेश के जरिए धन जुटाने का साधन न समझा जाए, बल्कि उनके कार्यप्रणाली में **सुधार** लाकर उन्हें मजबूत बनाया जाए।

3.2.2. सरकारी प्रतिभूतियां (Government Securities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने "**RBI (सरकारी प्रतिभूति ऋण) दिशा-निर्देश, 2023**" जारी किए। इसके जरिए **सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec)** को उधार देने और उधार लेने की अनुमति दी गई है।

सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के बारे में

- G-Secs **केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य इंस्ट्रूमेंट या उत्पाद** है। यह एक प्रकार से सरकार पर ऋण चुकाने का दायित्व जैसा है क्योंकि सरकार प्रतिभूति जारी करके बाजार से उधार के रूप में फंड जुटाती है। इसे उसे वापस चुकाना भी होता है।
- ये प्रतिभूतियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं:
  - **अल्प अवधि वाली:** इन्हें **ट्रेजरी बिल** (T-Bills) कहा जाता है।
  - **लंबी अवधि वाली:** इन्हें **सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां (Dated securities)** कहा जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के लाभ

ऐसी प्रतिभूतियों को **कम जोखिम वाला निवेश** माना जाता है, क्योंकि इनके पीछे सरकार का समर्थन रहता है।	**ब्याज दर निश्चित** होने के कारण ये आय के सतत स्रोत होते हैं।	**राज्य विकास ऋण (SDLs) और विशेष प्रतिभूतियां (ऑयल बॉण्ड, उदय बॉण्ड आदि)** जैसी प्रतिभूतियां आकर्षक रिटर्न प्रदान करती हैं।	अलग-अलग प्रकार के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करने से समग्र जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।	बाजार में इनका व्यापार करना आसान होताहै। इससे निवेशक इन्हें तुरंत खरीद और बेच सकते हैं।	इन्हें रेपो मार्केट में **धन उधार लेने के लिए जमानत** के रूप में रखा जा सकता है।

सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs) के लिए की गई पहलें

- **G-Secs खरीद कार्यक्रम** (G-SAP): इसके तहत, RBI बाजार से G-Secs खरीदने के लिए खुले बाजार की गतिविधियों का संचालन करता है।
  - यह **कार्यक्रम सरकारी प्रतिभूति बाजार में भागीदारों को बाजार के अत्यधिक उतार-चढ़ाव से बचाने में** मदद करता है।

- **RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम:** इसके तहत रिटेल निवेशक RBI के पास **'रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट (RDG अकाउंट)'** खोल सकते हैं। इससे रिटेल निवेशक RBI के G-Secs प्लेटफॉर्म की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकते हैं।
- **RBI (बॉण्ड फॉरवर्ड) दिशा-निर्देश, 2023 का ड्राफ्ट:** इसका उद्देश्य सरकारी प्रतिभूतियों में बॉण्ड फॉरवर्ड पेश करना है। इस कदम से बाजार के भागीदारों, विशेष रूप से लंबे समय के निवेशकों को कैश फ्लो और ब्याज दर से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी।
  - **बॉण्ड फॉरवर्ड** वास्तव में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट (भविष्य की तिथि के लिए कॉन्ट्रैक्ट) है। इसमें एक पक्ष (खरीदार) भविष्य की किसी तय तारीख पर और कॉन्ट्रैक्ट के समय निर्धारित मूल्य पर किसी अन्य पक्ष (विक्रेता) से कोई **डेब्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए समझौता** करता है।
- **सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली की सुविधा के लिए योजना:** यह योजना सरकारी प्रतिभूतियों और **राज्य विकास ऋण (SDLs)** के लिए प्राथमिक बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए RBI द्वारा शुरू की गई है।

सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़ी चिंताएं क्या हैं?

- **कैप्टिव इन्वेस्टर्स आधारित:** वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों का एक बड़ा हिस्सा बैंकों और बीमा कंपनियों जैसे कैप्टिव इन्वेस्टर्स के पास पड़ा हुआ है। इसलिए निवेशक आधार में विविधता लाने की आवश्यकता है।
- **विनिमय दर प्रबंधन:** सरकारी बॉण्ड के जरिए विदेशी फंड के आने से रुपये का अधिमूल्यन (Appreciation) हो सकता है यानी यह मजबूत हो सकता है। इससे निर्यात प्रभावित हो सकता है।
- **बाजार में तरलता यानी सरकारी प्रतिभूति की कमी: सेकेंडरी बाजार** में सरकारी प्रतिभूतियों के खरीदार कम होते हैं, इसलिए यहां प्रतिभूतियां कम उपलब्ध होती हैं। इस वजह से निवेशक कम मूल्य पर जल्दी बेचकर निकलना चाहते हैं।
- **सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने से जुड़े मुख्य जोखिम:**
  - **बाजार से जुड़े जोखिम:** ब्याज दरों में बदलाव के कारण **प्रतिभूतियों के मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव** से बाजार संबंधी जोखिम की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि प्रतिभूतियों को कम मूल्यों पर बेचा जाता है तो इससे नुकसान हो सकता है।
  - **ब्याज दर जोखिम:** दिनांकित प्रतिभूतियों की **परिपक्वता अवधि काफी लंबी (5-40 वर्ष)** होती है। इस प्रकार इन पर भविष्य में मिलने वाली **ब्याज दर के बारे में जोखिम बना रहता है।** इससे लंबी अवधि में उनकी महत्ता कम हो जाती है।

आगे की राह

- **एकीकृत बाजार:** G-Secs और कॉरपोरेट बॉण्ड बाजारों को एकीकृत करने से **G-Secs से कॉरपोरेट बॉण्ड तक मूल्य निर्धारण की जानकारी बिना बाधा के पहुंच सकेगी। कॉरपोरेट बॉण्ड और G-Secs के व्यापार, क्लीयरेंस और सेटलमेंट के लिए समान विनियामक व्यवस्था** होने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल (बॉण्ड मार्केट का विस्तार होने से कॉस्ट एडवांटेज) और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप (अलग-अलग यानी विभाजित व्यवस्था के बजाय साझी व्यवस्था होने से कॉस्ट एडवांटेज) का लाभ मिलेगा। इससे बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धा, दक्षता और लिक्विडिटी (बॉण्ड का अधिक लेन-देन) आएगी।
- **ट्रेडिंग:** बॉण्ड बाजार में **अधिक निवेशकों की भागीदारी** सुनिश्चित करने तथा **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, G-Secs को स्टॉक एक्सचेंज व्यवस्था के माध्यम से जारी** किया जाना चाहिए और उसी के माध्यम से कारोबार किया जाना चाहिए।
- **खुदरा भागीदारी में वृद्धि करना:** सरकार को **G-Secs को डीमैट के जरिए जारी करना चाहिए** ताकि डीमैट खाता धारक आसानी से G-Secs में निवेश कर सकें। रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए G-Secs-आधारित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड भी विकसित किए जाने चाहिए।

3.2.3. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) के जरिए 15,624.9 करोड़ रुपये प्राप्त किया है। यह NHAI द्वारा अब तक का सबसे बड़ा मुद्रीकरण है।

अवसंरचना परिसंपत्ति मुद्रीकरण चक्र

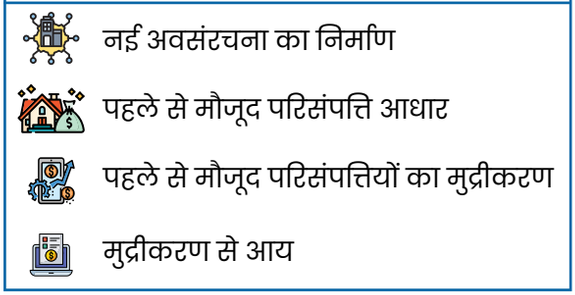

परिसंपत्ति मुद्रीकरण (AM) के बारे में

- **उत्पत्ति:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण का सुझाव पहली बार 2012 में अर्थशास्त्री **विजय केलकर** की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने दिया था।
- **परिभाषा:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य का आकलन करके सरकार और उसकी संस्थाओं के लिए राजस्व के नए स्रोत प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है।
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण (AM) की प्रक्रिया:**
  - **परिसंपत्ति मुद्रीकरण** में निर्धारित अवधि के लिए निजी क्षेत्रक की इकाई को प्रदान की गई **सरकारी स्वामित्व वाली परिसंपत्ति का लाइसेंस/ पट्टा** शामिल होता है।
  - भुगतान के बदले परिसंपत्ति उपयोग के अधिकारों का हस्तांतरण एक रियायती समझौते द्वारा शासित होता है। इसमें **जोखिम को** संतुलित आधार पर **सार्वजनिक प्राधिकरण** और **निजी पक्षकारों के बीच** साझा किया जाता है।

भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- **नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) का वित्त-पोषण:** NIP का उद्देश्य नागरिकों को विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना और इस क्षेत्रक में निवेश को आकर्षित करना है।
  - नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 2020 से 2025 तक की अवधि में 111 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- **राजकोषीय दबाव में कमी:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत निजी भागीदारों द्वारा निवेश की गई पूंजी से सार्वजनिक क्षेत्रक पर राजकोषीय दबाव कम होगा। साथ ही, अनुपयुक्त संसाधनों को उपयोग में लाकर नई अवसंरचना परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है।
- **निजी क्षेत्रक की दक्षताओं का लाभ उठाना:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण से सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन में निजी क्षेत्रक की क्षमताओं और पारदर्शिता का लाभ उठाया जा सकेगा।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए की गई पहलें

- **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP):**
  - **क्षेत्रक:** सरकार ने अपनी **ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 13 क्षेत्रकों की पहचान** की है।
  - **क्षमता:** वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक के चार वर्षों में केंद्र सरकार की **कोर परिसंपत्तियों में 6 लाख करोड़ रुपये की मुद्रीकरण की क्षमता है।**
- **मुद्रीकरण के लिए लक्षित अलग-अलग परिसंपत्तियां/ परिसंपत्ति वर्ग:**
  - भारतीय रेलवे, **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर** संपत्तियों के चालू होने के बाद उनके संचालन और रखरखाव के लिए परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा।
  - हवाई अड्डों का मुद्रीकरण **संचालन और प्रबंधन** रियायत (संबंधित जगह) के लिए किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC):** यह एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (CPSEs) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में आने वाली चुनौतियां

- **परिसंपत्ति के मूल्य के आकलन में चुनौती:** सार्वजनिक परिसंपत्तियों, विशेष रूप से ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के मूल्य का सटीक आकलन करना जटिल कार्य है और यह विवादों को जन्म दे सकता है।
- विनिवेश संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के **कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां।**
- **पारदर्शिता की कमी:** एक बड़ा सवाल यह भी है, कि मुद्रीकरण से प्राप्त आय को बजट दस्तावेजों में दर्शाया जाएगा या नहीं, और इनसे प्राप्त धन को कैसे खर्च किया जाएगा।
- मुद्रीकरण के लिए **एक स्पष्ट क्षेत्रक-विशिष्ट रोडमैप का न होना** भी इस प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा है।
- **अन्य चुनौतियां:**
  - परिसंपत्ति मुद्रीकरण में बोलीदाताओं (Bidders) की कम रुचि और भागीदारी देखी गई है,
  - परिसंपत्तियों के संचालन और विकास में बोलीदाताओं की तकनीकी क्षमता सीमित है,
  - समय पर लेन-देन पूर्ण करना भी बड़ी चुनौती है, आदि।

आगे की राह				
एक स्पष्ट रोडमैप, विशेष रूप से ब्राउन-फील्ड परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए।	कानूनी विवादों के संबंध में **विनियामकीय स्पष्टता।**	परिसंपत्ति मूल्यांकन और राजस्व अनुमानों के लिए **क्षमता निर्माण में सहायता करना।**	विविध निवेशकों के लिए **परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करना।**	निवेशकों को आश्वासन देकर **राज्यों को सहायता प्रदान करना।**

3.3. भारत में विनिमय दर प्रबंधन (Exchange Rate Management in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रुपये का सापेक्ष मूल्य (Valuation) भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं की तुलना में लगभग दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप और घरेलू मुद्रास्फीति के अधिक रहने के कारण ऐसा हुआ है।

अन्य प्रमुख आर्थिक चरों (घटकों) पर विनिमय दर का प्रभाव

- **मुद्रास्फीति: अधिमूल्यन यानी अधिक मूल्य वाली मुद्रा** आयातित वस्तुओं और सेवाओं की लागत को कम करके **मुद्रास्फीति को कम करने** में योगदान कर सकती है।
- **ब्याज दरें: स्थानीय मुद्रा की मजबूती को नियंत्रित करने के लिए** केंद्रीय बैंक **ब्याज दरों को कम** कर सकता है। केंद्रीय बैंक के इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य **आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा** देना और **निर्यात को प्रोत्साहित** करना होता है।
  - **इसी प्रकार, केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में वृद्धि करके कमजोर मुद्रा की समस्या को दूर करता है।**
- **आर्थिक संवृद्धि:** मजबूत मुद्रा भले ही मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करती हो, लेकिन यह निर्यात पर निर्भर क्षेत्रकों के विकास को कम कर सकती है। इससे **समग्र आर्थिक संवृद्धि में कमी आ सकती है।**
- **व्यापार:** देश की मुद्रा के मजबूत होने से **व्यापार घाटा बढ़** सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे **निर्यात की जाने वाली वस्तुएं महंगी होकर कम प्रतिस्पर्धी** हो जाती हैं एवं **आयातीत वस्तुएं सस्ती** होने के कारण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक हो जाती हैं।
- **पूंजी प्रवाह:** एक मजबूत मुद्रा **अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती है,** क्योंकि निवेशक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से उच्च रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं।

विनिमय दरों के प्रबंधन में चुनौतियां

- **अप्रत्याशित भू-राजनीतिक घटनाएं:** अप्रत्याशित वैश्विक घटनाएं, जैसे- व्यापार युद्ध (अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध), भू-राजनीतिक तनाव (यूक्रेन-रूस युद्ध) या प्राकृतिक आपदाएं विनिमय दरों में **अचानक और अप्रत्याशित** उतार-चढ़ाव का कारण बन सकती हैं।
- **सट्टेबाजी और छेड़छाड़** के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा की खरीद और बिक्री करने से **विनिमय दर में अस्थिरता आ सकती है।**
- **सरकारी हस्तक्षेप:** मुद्रा के अवमूल्यन या मूल्यह्रास जैसे उपायों के द्वारा विनिमय दर को स्थिर करने या प्रभावित करने हेतु सरकारों या केंद्रीय बैंकों द्वारा हस्तक्षेप करने से **मुद्रा बाजार में गलत संदेश** जाता है। यह नीति-निर्माताओं के लिए चुनौतियां पैदा करता है।

आगे की राह

- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत समन्वय:** सरकारों और केंद्रीय बैंकों को विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने के लिए नीतिगत स्तर पर तालमेल बनाए रखना चाहिए। ऐसा तालमेल **बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स** जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से बनाए जा सकता है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार बफर को बनाए रखना:** स्वर्ण और महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जैसे मुख्य संसाधनों के पर्याप्त भंडार रखने से मुद्रा बाजार की अस्थिरता को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है।
- **मुद्रा विनिमय दर के साथ छेड़छाड़ का विरोध करना:** उन देशों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कार्रवाई की मांग की जा सकती है, जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए मुद्राओं के मूल्य के साथ छेड़छाड़ कर वैश्विक मुद्रा बाजार को प्रभावित करते हैं।

3.3.1. भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन (MANAGING FOOD INFLATION IN INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (ICRIER) के एक अनुमान के अनुसार, 2023 में अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से किसानों को कम-से-कम 45,000 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति

- अगस्त 2023 में **खुदरा मुद्रास्फीति 6.83% और खाद्य मुद्रास्फीति 9.2%** थी। इसे साल-दर-साल (Y-O-Y) आधार पर **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक** (CPI) द्वारा मापा जाता है।
- **भारत की खाद्य मुद्रास्फीति को दीर्घावधि में प्रभावित करने वाले कारक:** मानसून की अनियमितता, वैश्विक कमोडिटी की कीमतें (जिसमें कच्चे तेल की कीमतें भी शामिल हैं), सरकारी नीतियां, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, आदि।

वर्तमान खाद्य मुद्रास्फीति प्रबंधन प्रणाली को लेकर चिंताएं

- **किसानों की आय में कमी:** खाद्य मुद्रास्फीति को रोकने के उपायों के परिणामस्वरूप किसानों की आय में समग्र रूप से कमी आती है। ऐसे उपायों में निर्यात प्रतिबंध, OMSS और स्टॉक सीमा लागू करने जैसे उपाय शामिल हैं।
- **नीतिगत पूर्वाग्रह:** बाजार को विकृत करने वाले ऐसे नीतिगत उपायों को अपनाना यह इंगित करता है कि भारत की खाद्य मूल्य नीति किसानों यानी उत्पादकों की तुलना में **उपभोक्ताओं के पक्ष में** अधिक है।
- **किसानों पर अप्रत्यक्ष कर का बोझ:** ICRIER और OECD द्वारा पूर्व में किए गए एक शोध के अनुसार, 2000-01 और 2016-17 के बीच भारतीय किसानों को सालाना **2.65 लाख करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष कर** का भारी बोझ वहन करना पड़ा।
- **वैश्विक प्रभाव:** भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 40% है। चावल पर भारत के निर्यात प्रतिबंध से वैश्विक कीमतों पर असर पड़ता है।

प्रतिकूल प्रभावों के बिना खाद्य मुद्रास्फीति का बेहतर प्रबंधन कैसे करें?

व्यापार नीति में संशोधन: बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए संरक्षणवादी व्यापार नीति के बजाय व्यापार नीति को अनुकूलित किया जा सकता है।	**बफर स्टॉक:** सरकार को फसल कटाई के सीज़न के दौरान **टमाटर, प्याज, आलू (TOP) जैसी अस्थिर कीमतों वाली प्रमुख सब्जियों के लिए बफर स्टॉक** बनाना चाहिए।	**किसानों को आय सहायता:** आय में संभावित कमी की भरपाई के लिए सरकार **पी.एम.-किसान सम्मान निधि** के तहत किसानों को मिलने वाली राशि में वृद्धि कर सकती है।

4. बैंकिंग, भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (BANKING, PAYMENT SYSTEMS AND FINANCIAL MARKETS)

4.1. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन {Umbrella Organisation (UO) For Urban Cooperative Banks}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए एक अम्ब्रेला संगठन **राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड** (NUCFDC) का गठन किया है।

UCBs की मौजूदा खामियां, जिन्हें NUCFDCs द्वारा समाप्त किया जा सकता है

- ख़राब प्रशासन
- पूंजी जुटाने में मौजूद बाधाएं
- तीव्र बाजार प्रतिस्पर्धा
- उच्च सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (GNPA)

NUCFDC के बारे में

- **एन.एस. विश्वनाथन समिति** के अनुसार, अम्ब्रेला संगठन इस क्षेत्रक में जनता और जमाकर्ताओं के भरोसा को बढ़ाने के लिए **एकमात्र दीर्घकालिक समाधान** प्रतीत होता है।
- भारत में, अम्ब्रेला संगठन की सहायता से लगभग **1,502 UCBs को अधिक सशक्त और आधुनिक** बनाया जा सकेगा।

NUCFDC के प्रमुख कार्य

- **तरलता और पूंजी सहायता प्रदान करना:** यह पूंजी जुटाकर **300 करोड़ रुपये के पूंजी आधार** तक पहुंचने का लक्ष्य रखे हुआ है ताकि जरूरत पड़ने पर UCBs की सहायता की जा सके।
- **विनियामक संबंधी नियमों के पालन को आसान बनाना:**
  - यह लघु बैंकों को **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के नियमों का पालन करने हेतु तैयार करने में मदद करेगा।
- **एक साझा प्रौद्योगिकी मंच विकसित करना:** NUCFDC, UCBs को अपेक्षाकृत कम लागत पर **अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने में मदद करेगा।**

UCBs की समस्याओं से निपटने के लिए किए गए अन्य उपाय

पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (Supervisory Action Framework: SAF): यह उन शहरी सहकारी बैंकों की समस्याओं का तेजी से समाधान ढूंढने में मदद करता है जो आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं।	**स्वैच्छिक रूपांतरण योजना (Scheme for voluntary conversion):** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2018 में योग्य शहरी सहकारी बैंकों को स्वैच्छिक रूप से लघु वित्त बैंकों (SFBs) में बदलने की योजना की घोषणा की थी।	शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति दी गई है।

4.2. बेसल III एंडगेम (Basel III Endgame)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कंज्यूमर बैंकर्स एसोसिएशन (CBA) ने "अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के मार्जिन पर उपभोक्ताओं पर **बेसल III एंडगेम** प्रस्ताव का प्रभाव" शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया।

बेसल मानदंडों का महत्त्व

- बेहतर जोखिम मूल्यांकन प्रणाली का विकास
- मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया
- बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस
- आर्थिक स्पिलओवर यानी अन्य क्षेत्रकों पर प्रभाव को कम करना

बेसल III एंडगेम के बारे में

- **बेसल III** बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए **बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति** द्वारा तैयार **उपायों का एक सेट है।**

- **बेसल III मानदंडों** के नियमों के अंतिम सेट को **"बेसल III एंडगेम"** नाम दिया गया है।
- **एंडगेम का एक संभावित प्रभाव** यह भी है कि **"ग्लोबली सिस्टेमिकली इंपोर्टेंट बैंक (Globally Systemically Important Banks: G-SIBs)"** द्वारा अपनी पूंजी आवश्यकताओं में 21% की वृद्धि की जाएगी।
  - **प्रस्तावित परिवर्तनों** का उद्देश्य **बैंकिंग प्रणाली की "मजबूती और संकट से निपटने की क्षमता"** में सुधार करना; तथा
  - बैंकों के पूंजीगत फ्रेमवर्क में पारदर्शिता लाना एवं स्थिरता बनाए रखना है।

निष्कर्ष

बेसल एकॉर्ड का सबसे बड़ा योगदान पूंजी की एक कॉमन परिभाषा निर्धारित करना है, हालांकि पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को देशों ने अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर समायोजित करके अपनाया है।

4.3. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 {Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016}

सुर्ख़ियों में क्यों?

इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सुधारों का प्रस्ताव दिया है।

IBBI द्वारा प्रस्तावित मुख्य सुधारों पर एक नज़र

- क्रेडिटर्स की समिति (CoC) द्वारा **कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया** (CIRP) की भूमिकाओं और अब तक के कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए।
- **समाधान पेशेवरों (Resolution Professionals: RP)** द्वारा हर महीने क्रेडिटर्स की समिति की बैठकें आयोजित करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की चुनौतियां

IBC के तहत समाधान के लिए 13,000 मामलें लंबित हैं।

दिवाला समाधान के लिए अधिक न्यायिक पीठें (बेंच) स्थापित नहीं की गई हैं।

मार्च, 2019 और सितंबर, 2023 के बीच वसूली दर **43%** से घटकर **32%** हो गई है।

2019 में दिवाला समाधान में औसत **324 दिन** लगते थे, जो 2023 में बढ़कर **653 दिन** हो गया।

- **परिसम्पतियों की मूल्यांकन पद्धतियों (Valuation methodologies) का मानकीकरण** किया जाना चाहिए।
- समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए और समाधानों को लागू करने में देरी को कम करना चाहिए।
- **असहमति जताने वाले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की न्यूनतम हकदारी (Entitlement) में स्पष्टता** होनी चाहिए।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के बारे में

- कार्पोरेट व्यक्तियों, **साझेदारी फर्मों** और **व्यक्तियों** को शामिल करने वाले **पुनर्गठन** और **दिवाला समाधान से** संबंधित **कानूनों को एक साथ लेकर** और **आवश्यक संशोधन** करके यह संहिता बनाई गई है।
  - **कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP)** उन क्रेडिटर्स के लिए ऋण वसूली योजना है जिनके ऋण कॉर्पोरेट के पास फंसा हुआ है।
- यह बिना डिफॉल्ट वाले ऐसे कॉर्पोरेट व्यक्ति के लिए भी समाधान तंत्र प्रदान करता है जो अपने व्यवसाय से बाहर निकलना यानी व्यवसाय बंद करना चाहते हैं। यह एक प्रकार की **स्वैच्छिक परिसमापन यानी लिक्विडेशन प्रक्रिया है।**
- **IBC और अन्य सुधारों का सकारात्मक प्रभाव:** सकल NPA 11.8% (मार्च, 2018) से घटकर मार्च 2023 में 3.87 हो गया।

IBC का महत्त्व

- यह संहिता **समय पर ऋण वसूली/ समाधान में सहायक** में सहायक है।
- यह संहिता एक कंपनी को **न्यूनतम व्यवधान और न्यूनतम लागत से** दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने तथा उसके निष्क्रिय पड़े संसाधनों को व्यवस्थित तरीके से उपयोग करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है।
- ऋण वसूली प्राधिकरण; सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002 और लोक अदालत जैसे पुराने तंत्रों की तुलना में IBC का प्रदर्शन बेहतर रहा है।

आगे की राह			
IBBI द्वारा प्रस्तावित सुधारों को लागू करना चाहिए	समीक्षा के बाद **प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया (PIRP) विकल्प के दायरे में** सभी कॉर्पोरेट को शामिल किया जाना चाहिए।	विशिष्ट क्षेत्रकों के लिए **विशेष समाधान फ्रेमवर्क** की शुरुआत करनी चाहिए।	IBC के तहत विवाद समाधान तंत्र के रूप में **स्वैच्छिक मध्यस्थता की चरणबद्ध शुरुआत** की जानी चाहिए, जैसा कि टी.के. विश्वनाथन समिति द्वारा सुझाया गया है।

4.4. सीमा-पार भुगतान (CROSS BORDER PAYMENTS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नवीन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए **G20 टेक-स्प्रिंट 2023** का आयोजन किया गया था। इन समाधानों का उद्देश्य सीमा पार भुगतान में सुधार लाना है।

सीमा पार भुगतान के बारे में

- यह एक प्रकार का वित्तीय लेन-देन है, जो वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच होता है। इस प्रकार के लेन-देन में **प्रेषक (Sender) और प्राप्तकर्ता (Recipient) अलग-अलग देशों में स्थित होते हैं।**
- 2023 में सीमा पार भुगतान बाजार का मूल्य लगभग **190 ट्रिलियन डॉलर** होने का अनुमान है। साथ ही, 2030 तक इसके 290 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

सीमा-पार भुगतान में बाधाएं				
मूल देश (भुगतान करने वाले) और प्राप्ति वाले देश (भुगतान प्राप्त करने वाले) में अलग-अलग सरकारी नियम।	**वित्तीय डेटा के मानकीकरण की कमी।**	**सुरक्षा जोखिम** (मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त-पोषण और साइबर धोखाधड़ी)	**उच्च लागत और निपटान में देरी**	**अप्रचलित प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म** ये बैच प्रॉसेसिंग पर निर्भर होते हैं। इनमें रियल टाइम निगरानी की कमी होती है और इनकी डेटा प्रॉसेसिंग क्षमता भी कम होती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सीमा पार भुगतान का विशेष महत्त्व कैसे है?

- **विप्रेषण में सरलता (Ease Remittances):** 2016 के बाद से, भारत का सीमा पार विप्रेषण 8% की CAGR से बढ़ रहा है।
- **यात्रा और पर्यटन को सुविधाजनक बनाना:** 2021 में, भारत में यात्रा और पर्यटन उद्योग ने देश की GDP में लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था।
- **विदेशी निवेश में तेजी:** वित्त वर्ष 2023 में भारत को कुल 70.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त हुआ।
- **वैश्विक बाजारों तक पहुंच:** यह व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अपना विस्तार करने और नए ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करता है।
- **विविधीकरण:** यह व्यवसायों को अपने ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सक्षम बनाता है।

आगे की राह				
मौजूदा पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऐसी सुविधाओं में सुधार करना चाहिए।	मैसेज फॉर्मेट के लिए **एक सुसंगत ISO 20022 संस्करण** अपनाया जा सकता है।	सीमा पार भुगतान में **विशेषज्ञता रखने वाली फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग** स्थापित करना चाहिए।	**नई पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाओं की संभावित भूमिका** का विश्लेषण किया जाना चाहिए।	अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- **सीमा पार भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा किये गए उपाय**
- **RBI पेमेंट विजन 2025:** इसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों या व्यवस्थाओं का उपयोग करके सीमा पार भुगतान को सुगम बनाने पर ध्यान दिया गया है।
- **NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने BHIM UPI-QR कोड के माध्यम से सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए** अलग-अलग देशों, वहां की कंपनियों व व्यापारिक संस्थाओं के मिलकर कई पहलें शुरू की हैं।
- **वर्तमान में, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, नेपाल और भूटान में** BHIM UPI-QR कोड के माध्यम से भुगतान को स्वीकृति मिल गई है।

4.5. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के लिए फ्रेमवर्क में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी है ताकि इसमें निवेश को और आसान बनाया जा सके।

अन्य संबंधित तथ्य

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज फ्रेमवर्क में नए संशोधनों का उद्देश्य **गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs) को फंड जुटाने में और अधिक मदद प्रदान करना है।**
  - नए संशोधनों के तहत सोशल स्टॉक एक्सचेंज में NPOs के **लिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP)** इंस्ट्रूमेंट्स की पब्लिक इश्यू के लिए न्यूनतम इश्यू साइज 1 करोड़ रुपये से घटाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है।
  - रिटेल सहित कई अन्य सब्सक्राइबर्स की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए NPOs द्वारा जारी जीरो कूपन **जीरो प्रिंसिपल की पब्लिक** इश्यू में आवेदन करने हेतु न्यूनतम निवेश राशि 2 लाख रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के बारे में

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज वास्तव में मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज का ही एक अलग सेगमेंट है। यह सामाजिक उद्यमों; जैसे कि गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs) या फॉर-प्रॉफिट एंटरप्राइजेज (FPEs) को स्टॉक एक्सचेंज के जरिए जनता से फंड जुटाने में मदद कर सकता है।
- निम्नलिखित तरीके से फंड जुटाए जा सकते हैं:
  - ZCZP बॉण्ड जारी करके और NPO के लिए म्यूचुअल फंड के जरिए दान देकर;
  - फॉर-प्रॉफिट इंटरप्राइजेज के लिए इक्विटी और ऋण इंस्ट्रूमेंट जारी करके।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज का महत्त्व

- सामाजिक उद्यमों और निवेशकों/दानदाताओं के बीच एकसाझा और सुव्यवस्थित मीटिंग ग्राउंड की सुविधा प्रदान करता है
- **प्रदर्शन के आधार पर परोपकारी दान**
- लिस्टिंग और पंजीकरण के लिए नगण्य लागतः SSE में पंजीकरण और लिस्टिंग के लिए नगण्य या शून्य शुल्क चार्ज करके पब्लिक इश्यू जारी करने की लागत कम करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से फंड जुटाने का विकल्प**

आगे की राह

निवेश के अनुकूल माहौल: SSE को सामाजिक उद्यमों और लिस्टेड संगठनों की क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।	**कर छूट देना:** यह आवश्यक है कि भारत में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कर कानून समन्वित और एकीकृत हों, ताकि निवेशकों और निवेश कर चुके व्यक्तियों या संस्थाओं, दोनों को फिर से आकर्षित किया जा सके।	**शोध को बढ़ावा:** फंड की मांग का कठोर मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि, यह समझा जा सके कि दानकर्ता और निवेशक SSE के वैल्यू का आकलन किस तरह करते हैं।	**सामाजिक उद्यमों की व्यवहार्यता:** SSE की सफलता के लिए, एक स्केलेबल मॉडल जरूरी है, जो आवश्यक पूंजी को आकर्षित करने में सक्षम हो ताकि ये बेहतर सामाजिक प्रभाव उत्पन्न कर सके।

SSE से जुड़ी चिंताएं

- **जागरूकता और शिक्षा की कमी** से संभावित निवेशक इससे जुड़ नहीं पाते हैं।
- कठोर विनियामकीय नियमों के चलते **सामाजिक उद्यमों का विनियमन जटिल** बन जाता है।
- सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मूल्यांकन पद्धतियों का अभाव।
- सामाजिक प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता को संतुलित करना भी चिंता का एक विषय है।

4.6. क्रिप्टो परिसंपत्तियों का विनियमन (Regulation of Crypto Assets)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, G20 देशों ने **'नई दिल्ली लीडर्स घोषणा-पत्र'** को अपनाया। इस घोषणा-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभावी विनियमन को भी शामिल किया गया है।

भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन की स्थिति

- **कानूनी प्रावधान:** वर्तमान में, क्रिप्टोकरेंसी का लेन-देन, हस्तांतरण, भंडारण या प्रबंधन का काम धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के अधीन किया जाता है।
- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का रुख और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:** RBI ने कई बार क्रिप्टो परिसंपत्तियों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ये परिसंपत्तियां वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा हैं।
- **विनियामकीय ढांचा:** वर्ष 2022 में, वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में डिजिटल रुपया, राज्य समर्थित एक क्रिप्टोकरेंसी और निजी क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया था।
- **कर व्यवस्था:** वर्ष 2022 में, केंद्रीय बजट में पहली बार आधिकारिक तौर पर क्रिप्टोकरेंसी सहित डिजिटल परिसंपत्तियों को **"आभासी डिजिटल परिसंपत्ति"** के रूप में वर्गीकृत किया गया।

क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन की आवश्यकता क्यों है?

उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अपराधों से बचाने के लिए।	अधिकतर क्रिप्टो परिसंपत्तियां विनियमन के दायरे में नहीं हैं।	क्रिप्टो बाजार में अधिक स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए।	कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त-पोषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए।	वित्तीय और आर्थिक नीतियों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए।

क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन में विद्यमान चुनौतियां

- **पूर्ण प्रतिबंध:** क्रिप्टो-परिसंपत्ति से जुड़ी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण लागत अधिक हो सकती है। साथ ही, ऐसे प्रतिबंधों को लागू करना भी तकनीकी रूप से मुश्किल हो सकता है।
- **विनियामकीय स्थिरता:** अलग-अलग देशों में क्रिप्टो नियमों में ताल-मेल हासिल करना एक जटिल कार्य बना हुआ है।
- **सामंजस्यपूर्ण वर्गीकरण का अभाव:** अलग-अलग देश क्रिप्टो-परिसंपत्तियों को अलग-अलग श्रेणियों में परिभाषित और वर्गीकृत करते हैं।
- **एकीकृत प्रयास न होना:** विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण निगरानी, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन कार्यों में विखंडन अर्थात् बिखराव की समस्या मौजूद है।

क्रिप्टो परिसंपत्तियों का वैश्विक विनियमन

- **IMF-FSB सिंथेसिस पेपर:** हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में, देशों ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के जोखिमों और उन्हें विनियमित करने संबंधी फ्रेमवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) की रिपोर्ट का समर्थन किया है।
- **मार्केट्स इन क्रिप्टो-एसेट्स रेगुलेशन (MiCA):** इसे यूरोपीय संघ ने बनाया है। यह **क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए पहला अंतर-क्षेत्राधिकार विनियामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क** है।

क्रिप्टो विनियमन के लिए आगे की राह			
क्रिप्टो परिसंपत्तियों का प्रभाव व उसे नीति से जोड़ना: इस विषय पर आगे बढ़ने का एक तरीका यह हो सकता है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के संभावित प्रभाव की पहचान करते हुए पर्याप्त नीतिगत प्रतिक्रियाएं तैयार की जाएं।	**लाइसेंस और पर्यवेक्षण:** क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस दिया जाना चाहिए और साथ ही वित्तीय संस्थानों की तरह उनकी भी निगरानी की जानी चाहिए।	**धन शोधन-रोधी (Anti-money laundering) उपाय:** एक बार लाइसेंस प्राप्त करने और विनियमित होने के बाद, सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहक की जांच-परख, रिकॉर्ड रखने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने जैसे उपाय लागू किए जाने चाहिए।	**कराधान पर स्पष्टता:** G20 देशों ने नियमों के प्रभावी पालन हेतु सीमा पार डेटा साझा करने के लिए **क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क** (CARF) जैसा फ्रेमवर्क बनाने का समर्थन किया है।

5. बाह्य क्षेत्रक (EXTERNAL SECTOR)

5.1. भारत और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं {India and Global Value Chains (GVCs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में शामिल होने की भारत की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके और जरूरी आयातों एवं सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) में व्यवधान न पैदा हो।

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (GVCs) क्या हैं?

- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC)** में वास्तव में उपभोक्ता के लिए उत्पाद को अंतिम रूप से तैयार करने वाला प्रत्येक चरण शामिल होता है और प्रत्येक चरण (जैसे- उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, परिवहन, वितरण आदि) **कुछ मूल्य जोड़ता है।** इसमें, कम-से-कम **दो चरण अलग-अलग देशों में संपन्न होने आवश्यक हैं।**
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुसार, **लगभग 70% वैश्विक व्यापार वैश्विक मूल्य श्रृंखला के जरिए** संपन्न होता है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) का महत्त्व

उत्पादकता में वृद्धि: अलग-अलग स्रोतों से किफायती या उच्च गुणवत्ता वाले आयातित इनपुट प्राप्त करने से ज्ञान को साझा किया जा सकता है, आदि।	**गरीबी के स्तर में कमी:** विश्व बैंक के अनुसार, GVC भागीदारी में **1% की वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में 1% से अधिक की वृद्धि** हो सकती है। यह व्यापार के पारंपरिक तरीके की तुलना में लगभग दोगुने की वृद्धि है।	**उत्पाद में विशेषज्ञता को बढ़ावा**	**रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण**

वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी

- **सीमित भागीदारी:** भारत का वैश्विक मूल्य श्रृंखला से संबंधित व्यापार बहुत कम है। **2022 में** यह **सकल व्यापार का 40.3%** था। यह अनुपात अन्य देशों के मुकाबले कम है।
- **नेटवर्क से जुड़े उत्पादों का कम निर्यात:** वैश्विक मूल्य श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण और वाहन जैसे नेटवर्क उत्पादों का वर्चस्व है। हालांकि, **भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में इन वस्तुओं की हिस्सेदारी केवल 10% है।**
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी को बढ़ाने वाले प्रमुख उत्पाद:** इन उत्पादों में कोयला और पेट्रोलियम, व्यावसायिक सेवाएं, रसायन, परिवहन उपकरण आदि शामिल हैं।
- **भारत में फॉरवर्ड लिंकेज का वर्चस्व:** भारत, अभी भी कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों के निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ने में भारत की सीमित भूमिका के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारण

मजबूत व्यापार अवसंरचना की कमी।	**व्यापार और प्रशुल्क नीति में अनिश्चितता।**	**कई क्षेत्रकों में उत्पादों का उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होना** तथा समय पर उत्पाद की आपूर्ति की आवश्यकता होती है।	भारत में अकुशल श्रमिकों की संख्या अधिक है और भारत इस मामले में लाभ की स्थिति में है, इसके बावजूद **अधिक पूंजी की आवश्यकता वाले क्षेत्रक को प्राथमिकता दी जाती है।**	**घरेलू नीतिगत चुनौतियां**

भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने के लिए उठाए गए कदम

विदेश व्यापार नीति 2023, व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना, एक जिला एक उत्पाद- निर्यात केंद्र के रूप में जिले (ODOP-DEH) पहल, आदि।

आगे की राह			
स्थिर प्रशुल्क नियमों को स्थापित करके, **राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क** की स्थापना करके व्यापार को सुविधाजनक बनाना आदि	विनियामकीय व्यवस्था में बार-बार बदलाव नहीं करना	वैश्विक मूल्य श्रृंखला के उच्च मूल्य वाले सेगमेंट को बढ़ावा देना	अधिक श्रम की आवश्यकता वाले क्षेत्रकों को बढ़ावा देना

5.2. वैश्विक आर्थिक डिकप्लिंग (GLOBAL ECONOMIC DECOUPLING)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कम होने से पता चलता है कि वैश्विक कंपनियां दुनिया के प्रमुख विनिर्माण केंद्र यानी चीन से दूर जा रही हैं। यह आर्थिक संबंध के डिकप्लिंग या वियोजन को दर्शाता है।

आर्थिक वियोजन (डिकप्लिंग) क्या है?

- **परिभाषा:** यह दो राष्ट्रों या राष्ट्रों के समूहों के बीच एक-दूसरे पर निर्भरता कमजोर होने की प्रक्रिया है।
- **इकोनॉमिक डीकप्लिंग के विभिन्न आयाम/तरीके:** आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्निर्धारण, विभिन्न मानकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना, ट्रेड डीकप्लिंग, जैसे- द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में कमी और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों एवं ट्रेड ब्लॉक्स के माध्यम से व्यापार करना।

आर्थिक डिकप्लिंग कमजोर होने के कारण

- **भू-राजनीतिक कारण: "कोल्ड वार 2.0"** (वैश्विक प्रभुत्व के लिए चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच महाशक्ति स्तर की प्रतिद्वंद्विता), यूक्रेन युद्ध आदि।
- **आर्थिक कारण:** संरक्षणवाद (Protectionism), आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism), आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना (Supply Chain Resilience) आदि।
- **तकनीकी कारक (Technological Factors):** चौथी औद्योगिक क्रांति (Fourth Industrial Revolution), **योजक उत्पादन (Additive Manufacturing)**
  - एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग में आयात की जगह स्थानीय स्तर पर ही लघु आकार में और आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता है।
- **पर्यावरण संबंधी कारक:** स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देकर पर्यावरण में क्षरण और CO2 उत्सर्जन को कम करने पर बल दिया जा रहा है।

आर्थिक डिकप्लिंग के प्रभाव

- **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में कमी:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार आर्थिक स्तर पर विश्व के देशों के अलग-अलग समूहों में बंटने से लंबे समय में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद को 7% तक की हानि हो सकती है।
- **विदेशी बाजारों का लाभ उठाने में कठिनाई:** आयात पर प्रशुल्क बढ़ाने तथा **निवेश पर प्रतिबंध लगाने से व्यवसायों के लिए विदेशी बाजारों तक पहुंचना** और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाना अधिक मुश्किल हो जाएगा।
- **प्रौद्योगिकी: डिकप्लिंग से चीन और पश्चिमी देशों के बीच प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा** और बढ़ेगी तथा तकनीकी इकोसिस्टम बाधित होगा। इससे अनुसंधान में सहयोग और ज्ञान का आदान-प्रदान सीमित होगा।
- **भारत के लिए अवसर: मैक्सिको, ब्राजील, भारत, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम** जैसे देशों को चीन से विनिर्माण गतिविधियों के जाने से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने से लाभ हो सकता है।

आगे की राह			
वैश्विक मानकों का विकास	**रणनीतिक नीति में सुधार:** व्यापक आर्थिक नीतियों को लागू करना चाहिए तथा संरक्षणवाद और वैश्वीकरण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए।	**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा:** व्यापारिक युद्ध को कम करने, विवादों को सुलझाने और आर्थिक नीतियों पर आम सहमति बनाने के लिए विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच कूटनीतिक प्रयासों और संवाद को बढ़ाना चाहिए।	**आयात और निर्यात में विविधता लाना: आयात या निर्यात के लिए किसी** एक देश पर निर्भरता कम करनी चाहिए और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाना चाहिए।

5.3. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of Rupee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने RBI से भारतीय रुपये को विश्व स्तर पर सुलभ और स्वीकार्य मुद्रा बनाने हेतु **10 साल की रणनीति** तैयार करने के लिए कहा ताकि **भारतीय मुद्रा यानी रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण** किया जा सके।

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में

- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा** एक ऐसी मुद्रा होती है जिसे जारी करने वाले देश के अलावा **विदेशों में भी लेन-देन** हेतु और **विदेशी मुद्रा भंडार** के रूप में **आरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता** है। वर्तमान में आरक्षित मुद्रा के रूप में रखी जाने वाली मुख्य विदेशी मुद्राएं हैं- **अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग।**

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से जुड़ी चुनौतियां			
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव	मौद्रिक नीति की दुविधा या ट्रिफिन डाइलेमा	मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता	बाह्य जोखिमों से प्रभावित होने की आशंका

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- **विनिमय दर से जुड़े जोखिम को कम करता है:** घरेलू कंपनियां निर्यात या आयात के लिए देश की मुद्रा में लेन-देन एवं भुगतान कर सकती हैं। इससे विनिमय दर में किसी उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिम से बचने में मदद मिलती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त होती है: यह भारतीय कंपनियों और वित्तीय संस्थानों** को विनिमय दर का जोखिम उठाए बिना **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच को सुगम** बनाता है।
- **अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है:** एक बड़े और अधिक दक्ष वित्तीय क्षेत्रक का विकास पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है। इससे भागीदारों के लिए पूंजी की लागत कम हो जाती है।
- **बजट घाटे के कुछ हिस्से को वित्त-पोषित करना: किसी देश की सरकार** को विदेशी मुद्रा में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में घरेलू मुद्रा में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जारी करके अपने बजट घाटे के एक हिस्से को वित्त-पोषित करने में मदद करता है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने की आवश्यकता को कम करना:** यह बाहरी खतरों से निपटने में विनिमय योग्य मुद्राओं में विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने और उस पर निर्भरता को कम करता है।

भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के तरीके

- **पूंजी खाता परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility):** भारतीय रुपया **चालू खाते** में पूरी तरह से परिवर्तनीय है लेकिन **पूंजी खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है।**

- **भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देना:**
  - **मुद्रा स्वैप और स्थानीय मुद्रा में निपटान (Local Currency Settlement: LCS),** और **कन्टिन्यूअस सेटलमेंट (CLS) में भारतीय रुपये को शामिल करना।**
  - **भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** भारत की अत्याधुनिक भुगतान प्रणालियों, जैसे- रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की वैश्विक पहुंच को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है।
- **वित्तीय बाजारों को मजबूत बनाना, जैसे-**
  - **RBI एवं SEBI के KYC (नो योर कस्टमर) मानदंडों को सहज बनाने की जरूरत है;**
  - **वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारत सरकार के बॉण्ड्स** को भी शामिल किया जाना चाहिए।

भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु शुरू की गई पहलें

RBI ने **भारत के बाहर रुपया खाता खोलने की अनुमति** दे दी है।	**भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** UPI अब नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात आदि में स्वीकार किया जाता है।	**विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (SVRAs):** RBI ने 22 देशों के बैंकों को पेमेंट सेटलमेंट के लिए भारतीय बैंकों में SVRAs खोलने की अनुमति देकर इन देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए तंत्र स्थापित किया है।	श्रीलंका में **भारतीय रुपया एक नामित विदेशी मुद्रा** बन गया है।	भारत ने जापान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ **द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था (BSA)** की व्यवस्था की है।

5.4. विकासशील देशों के ऊपर वैश्विक ऋण (GLOBAL DEBT OF DEVELOPING COUNTRIES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

श्रीलंका भारी कर्ज और भुगतान संतुलन (BoP) के गंभीर संकट का सामना कर रहा है। यह स्थिति विकासशील देशों के ऊपर बढ़ते कर्ज के बोझ के मुद्दों को उजागर करती है।

विकासशील देशों पर कर्ज का बढ़ता बोझ

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र ने "ए वर्ल्ड ऑफ डेट: ए ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रोस्पेरिटी " शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि **वर्ष 2000 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण 17 ट्रिलियन डॉलर था,** जो बढ़कर **2023 में 97 ट्रिलियन डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच** गया।
- भारत का जनरल गवर्नमेंट डेट (GGD) GDP का 80.9% था। IMF ने बताया कि मध्यम अवधि में भारत का GGD सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 100% से अधिक हो सकता है।

विकासशील देशों पर कर्ज के बढ़ते बोझ का कारण

- जब विकासशील देश वैश्विक वित्त बाजार से धन उधार लेते हैं, तो उन्हें उनके ऋण पर विकसित देशों की तुलना में **बहुत अधिक ब्याज दर** का भुगतान करना पड़ता है। 54 विकासशील देश अपने कुल राजस्व का **10 प्रतिशत** या **इससे अधिक हिस्सा ब्याज का भुगतान करने के लिए खर्च** करते हैं।
- सरकारी ऋण के लिए बहुपक्षीय संस्थानों पर अधिक निर्भर होने के बजाए **निजी ऋण दाताओं (जैसे कि बैंक) पर अधिक निर्भर रहना।**
- **बाहरी ऋणदाता** अक्सर आर्थिक संकट में फंसे देश के ऋण पुनर्गठन (Debt Restructuring) से बचते हैं।
- **खराब ऋण प्रबंधन और सरकारी राजस्व कम होना:** इसके मुख्य आंतरिक कारणों में अकुशल कर नीतियां और कानून के शासन में मौजूद खामियां हैं।

ऋण का बढ़ता बोझ, चिंता का विषय क्यों है?

- **ऋण की निरंतर उपलब्धता का मुद्दा:** पहले से ऋण का बोझ झेल रहे विकासशील देश अधिक महंगे स्रोत से नए कर्ज लेने के लिए बाध्य होते हैं। इससे उनके ऊपर ऋण का बोझ और अधिक बढ़ जाता है। नतीजतन ऐसी स्थिति में देशों के लिए ऋण संकट का समाधान करना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है।
- **वैश्विक वित्तीय स्थिरता:** विकासशील देशों में ऋण का मौजूदा उच्च स्तर वैश्विक वित्तीय अस्थिरता को बढ़ा सकता है।
- **विकास संबंधी व्यय में कमी:** ऋण चुकाने से अन्य विकास संबंधी प्राथमिकताओं (जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि) पर खर्च करना मुश्किल हो सकता है।
  - » लगभग 3.3 बिलियन लोग ऐसे देशों में रहते हैं जो स्वास्थ्य या शिक्षा पर व्यय की तुलना में ब्याज चुकाने पर अधिक धन खर्च करते हैं।
- **संधारणीय विकास में बाधा:** वर्तमान में, सार्वजनिक जलवायु वित्त-पोषण का 70% से अधिक हिस्सा ऋण का रूप ले लेता है। इस प्रकार यदि कोई देश **ऋण संकट में फंस जाता है तो वह जलवायु वित्त पर कम खर्च** करेगा।

विकासशील देशों में बढ़ते ऋण संकट को हल करने के लिए वैश्विक पहलें

IMF और विश्व बैंक ने अत्यधिक ऋणग्रस्त विकासशील देशों हेतु पहल की शुरुआत की है	**वैश्विक संप्रभु ऋण गोलमेज सम्मेलन (GSDR)**	**अंकटाड की ऋण प्रबंधन और वित्तीय विश्लेषण प्रणाली (DMFAS) कार्यक्रम**

आगे की राह

समावेशी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, उदाहरण के लिए- बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप IMF कोटा फॉर्मूले को अपडेट करने जैसे सुधार किए जाने चाहिए।	ऋण संकट के दौरान IMF और MDBs के माध्यम से अधिक तरलता (लिक्विडिटी) प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।	**ऋण की पारदर्शी रिपोर्टिंग**	**विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन रणनीतियां:** कम आय वाले देशों को सोच-विचार कर नए ऋण लेने चाहिए।	**ऋण पुनर्गठन**

5.5. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (CREDIT RATING AGENCIES: CRAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने मजबूत संवृद्धि और सरकारी खर्च की बढ़ती गुणवत्ता का हवाला देते हुए भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को **स्थिर (Stable)** से बदल कर **सकारात्मक (Positive)** कर दिया है।

क्रेडिट रेटिंग्स की भूमिका

निवेशकों को **तथ्य और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में मदद** मिलती है।	**संस्थाएं समय पर भुगतान** करने के लिए तत्पर रहती हैं।	ऋण लेने वालों के **डिफॉल्ट होने या ब्याज सहित ऋण चुकाने की संभावना** को दर्शाती है।	घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में **निवेशकों को बॉण्ड्स बेचने में राष्ट्रों और राज्यों को सक्षम बनाती** है।

सॉवरेन या संप्रभु रेटिंग के बारे में

- निवेशक किसी देश में निवेश करते समय उस देश की **ऋण चुकाने की क्षमता (Creditworthiness)** को मुख्य पैमाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में, **तीन प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों {स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P), मूडीज और फिच}** ने भारत को **निवेश-ग्रेड की रेटिंग** प्रदान की हुई है।
  - किसी सरकार की **ऋण चुकाने की क्षमता** का आकलन करने के लिए **कई मानदंड** होते हैं। इनमें से कुछ मुख्य **मानदंड निम्नलिखित हैं:**
    - **राजनीतिक जोखिम, कर व्यवस्था, राष्ट्रीय मुद्रा की वैल्यू, श्रम कानून, संप्रभु जोखिम** आदि।
- भारत में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI/ सेबी) **"सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियम, 1999"** के तहत **सभी क्रेडिट रेटिंग फर्मों को विनियमित** करता है।
- **भारत में सात क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं:** क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (CRISIL); क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च (CARE) लिमिटेड; इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ICRA); आदि।

वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की ओर से भारत की संप्रभु रेटिंग से जुड़े मुद्दे

- **दशकों से चली आ रही गड़बड़ी:** आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया था कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के इतिहास में सिवाय चीन और भारत के, कभी भी **दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को निवेश ग्रेड की सबसे निचली रेटिंग (BBB-/ Baa3) प्रदान नहीं की गई।**
  - यह सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में **पूर्वाग्रह** और **व्यक्तिपरकता** को दर्शाता है।
- **संरचनात्मक मुद्दे:** रेटिंग में **"जारीकर्ता-भुगतान (Issuer-pays)" मॉडल** की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था देखी जाती है। इसके तहत कई संस्थाएं **रेटिंग एजेंसियों को कुछ अन्य कार्यों/ सेवाओं के लिए भुगतान** भी करती हैं। इससे अक्सर **हितों का टकराव** पैदा होता है।
- **रेटिंग जारी करते समय भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थितियों पर विचार नहीं किया जाता है।** भारत ने कभी भी **संप्रभु ऋण पर डिफॉल्ट नहीं किया** है। भारत का **विदेशी मुद्रा भंडार** बेहतर स्थिति में है। जून 2024, तक, भारत का **विदेशी मुद्रा भंडार 651 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का था। देश की GDP की तुलना में विदेशी ऋण का **अनुपात लगभग 19-20%** है, जो कम है।
- **वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियमन नहीं होना:** क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां रेटिंग देने के निर्णय पर कैसे पहुंचती हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी देने वाले पारदर्शी तंत्र का अभाव है।

आगे की राह			
क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भी विनियमन के दायरे में लाना चाहिए	**विनियमन में क्रेडिट रेटिंग पर निर्भरता को कम करना**	रेटिंग एजेंसियों को अधिक स्पष्ट दीर्घकालिक क्रेडिट विश्लेषण करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।	**क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की पद्धतियों में अधिक पारदर्शिता लाना**

6. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (AGRICULTURE AND ALLIED ACTIVITIES)

6.1. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) (Primary Agricultural Credit Societies: PACS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

देश भर में **पैक्स (PACS)** के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं।

पैक्स के बारे में

- **परिभाषा:** पैक्स **सहकारी ऋण संरचना** में **जमीनी स्तर की शाखाएं** हैं। ये मुख्यतः अल्पावधि वाले ऋणों का वितरण करते हैं।
- **वर्तमान स्थिति: देश भर में 65,000 से अधिक पैक्स चालू अवस्था में हैं।** इन्हें DCCBs और SCBs के माध्यम से नाबार्ड (NABARD) द्वारा पुनर्वित्त किया जाता है।
- **महत्त्व: वित्तीय समावेशन** में पैक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है।
  - » देश में सभी संस्थाओं (बैंकों आदि) द्वारा दिए गए KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋणों में **पैक्स का हिस्सा 41%** है। इसके अलावा, 2022 के डेटा के अनुसार, पैक्स के माध्यम से दिए गए KCC ऋणों में से 95% ऋण **लघु और सीमांत किसानों** को दिए गए हैं।

पैक्स को मजबूत करने वाली अन्य पहलें

- **PACS के आधुनिकीकरण के लिए पहल: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD),** जो सहकारी क्षेत्र के बारे में सभी जानकारी प्रदान करता है।
- **पैक्स के व्यवसाय पोर्टफोलियो में विविधता लाना:** 'प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र' के रूप में पैक्स, 'प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र' के रूप में पैक्स तथा पैक्स को **कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs)** के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया जा रहा है।

पैक्स के सामने आने वाली समस्याएं

- अधिकांश पैक्स **डिजिटल अवसंरचना के अभाव, अपर्याप्त पूंजी, जमा के निम्न स्तर और उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA)** की समस्या से भी ग्रस्त हैं।
- **मानव संसाधन:** पैक्स के सदस्यों के बीच प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और अपर्याप्त प्रबंधकीय कौशल उनके काम-काज को प्रभावित करते हैं।
- **गवर्नेंस:** पैक्स का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर **निर्वाचित सदस्यों** द्वारा किया जाता है। इसके चलते राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है।
  - » गवर्नेंस संबंधी कई अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे- **पारदर्शिता का अभाव, अपर्याप्त जवाबदेही तंत्र से पैक्स की प्रभावशीलता में कमी,** आदि।
- **क्षेत्रीय असमानता:** पैक्स बड़े पैमाने पर पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों (जैसे- महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि) में केंद्रित हैं।

आगे की राह

प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना: पैक्स स्तर पर सामान्य लेखा प्रणाली (Common Accounting System: CAS) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System: MIS) को अपनाने से पैक्स के काम-काज में पारदर्शिता आएगी।	**वित्तीय मजबूती:** वित्त-पोषण के बाह्य स्रोतों तक पहुंच प्रदान कर, व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाकर पैक्स का पूंजी आधार बढ़ाया जाना चाहिए।	**मानव संसाधन:** क्षमता-निर्माण कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही, कुशल कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए उन्हें बेहतर वेतन और करियर में प्रगति के अवसर प्रदान करना चाहिए।	**गवर्नेंस में सुधार: नियमित लेखा-परीक्षण और सख्त प्रकटीकरण मानदंड** लागू करने की जरूरत है।

6.2. भारत की अनाज भंडारण प्रणाली (INDIA'S GRAIN STORAGE SYSTEM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने **'सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना'** हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसे 11 राज्यों में 11 पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACSs) के लिए शुरू किया गया है।

सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बारे में

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **पैक्स (PACSs) के स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण सुविधाएं** स्थापित करना है। साथ ही, इसके उद्देश्यों में अन्य **कृषि अवसंरचनाओं,** जैसे- गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, प्रसंस्करण यूनिट्स आदि की स्थापना करना भी शामिल है।
- **पैक्स को होने वाले लाभ: पैक्स** गोदामों/ भंडारण सुविधाओं के निर्माण और अन्य कृषि अवसंरचनाओं की स्थापना के लिए **सब्सिडी तथा ब्याज छूट का लाभ** उठा सकते हैं।

भारत में अनाज भंडारण प्रणाली

- **लघु किसानों द्वारा भंडारण:** उत्पादित खाद्यान्न का लगभग 60-70% हिस्सा घरेलू स्तर पर विभिन्न स्वदेशी और **पारंपरिक भंडारण** संरचनाओं, जैसे- मोराई, मिट्टी की कोठी आदि का उपयोग करके भंडारित किया जाता है।
- **सरकारी भंडारण एजेंसियां:** भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भंडारण निगम (CWC), राज्य भंडारण निगम आदि।
- **निजी एजेंसियां:** FCI **निजी स्वामियों** से भंडारण क्षमता किराए पर भी लेती है।

अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य पहल

भंडारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007	**खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन पर राष्ट्रीय नीति, 2000**	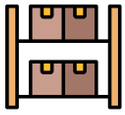 **स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम्स (SAFEETY)**	**ग्रामीण भंडारण योजना**

भारत में अनाज भंडारण से जुड़ी चुनौतियां

अवैज्ञानिक भंडारण: लगभग 80% हैंडलिंग और गोदाम सुविधाएं मशीनों से लैस नहीं हैं।	**सीमित भंडारण क्षमता:** FAO के सांख्यिकीय डेटा के अनुसार, भारत में खाद्यान्न उत्पादन 311 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) के आस-पास है, जबकि भारत में कुल भंडारण क्षमता केवल 145 MMT ही है।	FCI बफर स्टॉकिंग मानदंडों से कहीं अधिक बफर स्टॉक रखता है।	पारंपरिक भंडारण प्रणाली फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान से सुरक्षा की गारंटी नहीं देती हैं।	भंडारण में निजी निवेश की कमी

6.3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2023-24 में PMFBY के तहत रिकॉर्ड संख्या में **4 करोड़ से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन** कराया है। इस योजना के तहत **2022-23 में 3.15 करोड़ किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया** था। इस प्रकार, 2023-24 में इसमें **27% की वृद्धि** दर्ज की गई है।

PMFBY से संबंधित चुनौतियां

- प्रीमियम सब्सिडी की उच्च लागत
- गैर-भागीदार किसानों से प्रीमियम की कटौती
- फसल उपज का अनुमान लगाने में समस्या
- दावों के निपटान में देरी
- डिफॉल्ट करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी होती है।

PMFBY के तहत प्रमुख पहलें

- **क्रॉपिक** (Collection of Real Time Observations and Photo of Crops: CROPIC)- रियल टाइम में अवलोकन और फसलों की फोटो का संग्रह।
- **वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) पोर्टल।**
- **YES-TECH (Yield Estimation System, based on Technology/ प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली) मैनुअल ।**
- **AIDE (सहायक) ऐप के माध्यम से घर बैठे फसल बीमा।**

आगे की राह

राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से **समय पर प्रीमियम सब्सिडी जारी करना**	**जिले की प्रत्येक तहसील में बीमा कंपनियों की उपस्थिति**	डिफॉल्टर कंपनियों के लिए दंड या जुर्माने का प्रावधान किया जाना चाहिए।	**स्मार्ट सैंपलिंग तकनीकों को अपनाना:** सभी राज्यों द्वारा तकनीक की मदद लेना, जैसे- उपग्रह की मदद से डेटा एकत्रित करना या ड्रोन का उपयोग करना आदि।	**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:** बीमा कंपनियां अपने लाभ का एक हिस्सा उन जिलों में CSR के लिए खर्च करने की योजना बना सकती हैं जहां से अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है।

6.4. अंतर्देशीय मात्स्यिकी (INLAND FISHERIES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत अंतर्देशीय जल में मछली उत्पादन के मामले में **चीन को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष देश** बन गया है। इसके साथ ही, भारत मछली उत्पादन के मामले में **दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल** हो गया है।

अंतर्देशीय मात्स्यिकी के बारे में

- देश के भीतर स्थित नदियों, झीलों, जलाशयों, तालाब जैसे जल निकायों में मछलियों के उत्पादन, प्रबंधन और संरक्षण को "अंतर्देशीय मात्स्यिकी" कहा जाता है।
- **पिछले 9 वर्षों में** अंतर्देशीय मछली उत्पादन **दोगुना होकर 131 लाख टन** हो गया है।

अंतर्देशीय जल में मात्स्यिकी के लाभ

- **पोषण और खाद्य सुरक्षा:** अंतर्देशीय जल में प्राप्त होने वाली मछलियों में प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन D प्रचुर मात्रा में होता है।
- **आर्थिक लाभ:** इससे रोजगार के अवसर में वृद्धि, ग्रामीण अवसंरचना का विकास, विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि जैसे **आर्थिक लाभ** प्राप्त होते है।

- **पर्यावरण:** मछलियां आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करके तथा जैव विविधता को बनाए रखकर **पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण** करती हैं।
- समुदाय की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां और उनके मजबूत सांस्कृतिक संबंध सांस्कृतिक विरासत में योगदान देते हैं।

भारतीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन से जुड़ी चुनौतियां

जल-कुशल एक्वाकल्चर पद्धतियों जैसी **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने में धीमी गति।**	समय पर ऋण न मिलना, अपर्याप्त मूल्य निर्धारण जैसी **आर्थिक चुनौतियां।**	अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं जैसी **अवसंरचना संबंधी चुनौतियां।**	मछली के अतिदोहन या उनकी संख्या में कमी से संबंधित **पर्यावरणीय चुनौतियां।**

इस दिशा में उठाए गए कदम

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)	**प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY)**	**आनुवंशिकी में सुधार हेतु राष्ट्रीय सुविधा**	**राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड**	**जलीय जीव के रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम**	**मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि**

आगे की राह

- **बिग डेटा, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित आपूर्ति श्रृंखला जैसी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने** से नुकसान को कम किया जा सकता है तथा ट्रेसेब्लिटी में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में मछुआरों, नाव मालिकों और सरकारी संगठनों, सभी को शामिल करते हुए एक **बहु-हितधारक एप्रोच** अपनाने की आवश्यकता है।
- संधारणीय और उत्तरदायी मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने के लिए "जिम्मेदार मात्स्यिकी हेतु FAO की आचार संहिता" को अपनाना चाहिए।
- **मत्स्य किसान उत्पादक संगठन** (FFPOs) मत्स्य पालन से जुड़े किसानों के समूह बनाने में मदद कर सकते हैं।
- **फूड पार्क, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, चिलर बॉक्स, आइस फैक्ट्री** जैसी अवसंरचनाओं का विकास करने की आवश्यकता है।

6.5. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research: ICAR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कृषि और पशुपालन क्षेत्रक में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ICAR **'एक वैज्ञानिक, एक उत्पाद'** योजना शुरू करने जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ICAR का लक्ष्य 100 दिनों के भीतर **100 नई बीज किस्में विकसित** करना है।

ICAR के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे पहले **इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च** के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह **कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के तहत एक स्वायत्त संगठन** है।

- **कार्य:** यह पूरे देश में **बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्रक** में अनुसंधान एवं शिक्षा का समन्वय, मार्गदर्शन तथा प्रबंधन करने के लिए शीर्ष निकाय है।

बेहतर और अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणालियों के लिए ICAR की भूमिका

- ICAR ने **अधिक उपज देने वाली** अलग-अलग फसलों की **नई किस्मों** को विकसित करके **हरित क्रांति** लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। **इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:**
  - **धान की किस्में,** जैसे पूसा बासमती 1121;
  - **फलों की किस्में, जैसे**- आम्रपाली, भगवा अनार आदि।
- ICAR ने बीजों को सेफ्टी डुप्लीकेट्स के रूप में सुरक्षित रखने के लिए उन्हें स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में जमा किया है।
- **एकीकृत कृषि: कृषि-बागवानी, एग्री-सिल्वी और सिल्वीपास्टोरल प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि-वानिकी के मॉडल्स विकसित** किए हैं। इससे **किसानों की आय में वृद्धि** की जा सकेगी।
  - इसने क्षेत्रीय स्तर संतति (Progeny) परीक्षण और चयन के जरिए स्वदेशी नस्ल के मवेशियों की उत्पादकता में सुधार करने में सहायता प्रदान की है।
- ICAR ने देश से कई सारे पशु रोगों के उन्मूलन में योगदान दिया है। इन रोगों में शामिल हैं- **रिंडरपेस्ट, संक्रामक बोवाइन प्लूरा निमोनिया, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस और डौरिन।**
- **नीली क्रांति में योगदान: इसने केज (Cage) कल्चर** को बढ़ावा दिया है, जिससे **प्रति इकाई उत्पादकता में वृद्धि** हुई है। केज कल्चर वस्तुतः **कम जगह में और अधिक मात्रा में मत्स्य पालन की एक तकनीक है।**

6.5.1. एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान (Contributions of M. S. Swaminathan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक **मनकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन** का निधन हो गया। वे **एम.एस. स्वामीनाथन** के नाम से लोकप्रिय थे।

एम.एस. स्वामीनाथन का विज्ञान संबंधी योगदान

- **आनुवंशिक शोध (Genetic Research):** उन्होंने **ब्रीडिंग कार्यक्रमों** के तहत फसल की ऐसी किस्में **विकसित करने पर शोध किया** जो न **केवल अधिक उपज देने वाली बल्कि कीट और रोग प्रतिरोधी** भी हों।
- **धान की किस्में (Rice varieties):** ओडिशा के कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (CRRI) में श्री स्वामीनाथन ने **इंडिका-जपोनिका राइस हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम** से जुड़े शोधों में अपना योगदान दिया। इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने **उर्वरकों के कुशल उपयोग, अधिक उपज वाली** और **छोटे कद वाली** धान की किस्मों को विकसित करने पर शोध किया। जैसे- **ADT27, RASI और पूसा बासमती**
- **डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने सहभागी किस्म विकास (Participatory breeding) नामक तकनीक को बढ़ावा** दिया। इसमें किसानों को उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास में मदद दी जाती है।

आर्थिक-पारिस्थितिकी (Economic Ecology) में योगदान

- **सदाबहार क्रांति** (Evergreen Revolution): उन्होंने अपने प्रयासों को **"सदाबहार"** क्रांति लाने पर केंद्रित किया। इस क्रांति को उन्होंने **"पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाए बिना हमेशा के लिए उत्पादकता में सुधार"** के रूप में परिभाषित किया।
- **तरीका:** उन्होंने कृषि गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए 4C का प्रस्ताव दिया। ये 4C हैं- **संरक्षण** (Conservation), **खेती** (Cultivation), **उपभोग** (Consumption) और **व्यावसायीकरण** (Commercialization)।

एम.एस. स्वामीनाथन का नीतिगत और संस्थागत योगदान तथा वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता

- **राष्ट्रीय किसान आयोग (National Commission on Farmers: NCF):** NCF का गठन श्री स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। NCF ने कई सिफारिशें कीं। इनमें से एक है- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को उत्पादन की भारित औसत लागत से **कम-से-कम 50%** अधिक होना चाहिए। NCF ने **ग्राम ज्ञान केंद्रों (VKCs)** के गठन की भी सिफारिशें की।
- **पौधों की किस्मों का संरक्षण**: उन्होंने **'पौधा या पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001'** को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- **आपदा प्रबंधन:** उन्होंने **"सूखा से संबंधित कोड (Drought code)", "बाढ़ से संबंधित कोड (Flood code)" और "अच्छे मौसम से संबंधित कोड (Good weather code)"** की अवधारणाओं को अपनाने की वकालत की।
- **अनुसंधान संस्थान:** उन्होंने **कई संस्थानों की स्थापना में मदद** की। ये संस्थान निम्नलिखित हैं:
  - अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT), पटानचेरु (हैदराबाद के निकट);
  - इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (IBPGR), रोम।

6.6. कृषि का डिजिटलीकरण (DIGITISATION OF AGRICULTURE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

G20 के दिल्ली घोषणा-पत्र में किसानों द्वारा **डिजिटल प्रौद्योगिकी के जिम्मेदारीपूर्ण, संधारणीय और समावेशी उपयोग तथा एग्रीटेक स्टार्ट-अप और MSMEs को बढ़ावा देने** हेतु प्रतिबद्धता जताई गई।

कृषि के डिजिटलीकरण के बारे में

- इसका आशय **कृषि उत्पादन प्रणाली में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों के उपयोग** से है।
- **कृषि के डिजिटलीकरण का महत्त्व:**
  - **कृषि मूल्य श्रृंखला में:**
    - **इनपुट की आपूर्ति:** उदाहरण के लिए- कृषि डेटा के साथ AI का उपयोग।
    - **विपणन:** उदाहरण के लिए- e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार का ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल)।
  - **बेहतर गवर्नेंस:** उदाहरण के लिए- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (National e-Governance Plan in Agriculture: NeGP-A), इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (IDEA) फ्रेमवर्क।
  - **सामाजिक लाभ:** उदाहरण के लिए- पी.एम.-किसान मोबाइल ऐप।

कृषि के डिजिटलीकरण हेतु की गईं नवीनतम पहलें

- कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल
- किसान ऋण पोर्टल
- मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम
- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना

भारत में कृषि के डिजिटलीकरण में चुनौतियां

- किसान **डिजिटल तकनीकों की जानकारी के अभाव** में कृषि में नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को शामिल करने से झिझकते हैं।
  - इसके अलावा, मोबाइल उपकरणों के उपयोग से **डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में हुई हालिया वृद्धि** ने भी डिजिटल मोड की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है।
- **भूमि जोत का खंडों में विभाजित होना** डिजिटलीकरण के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि यह **प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को कठिन** बना देती है।
  - नवीनतम कृषि जनगणना के अनुसार, **कृषिगत जोत का औसत आकार 1970-71 के 2.28 हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर** हो गया।
- EY इंडिया के अनुसार, वर्तमान में भारत के कृषि क्षेत्रक में **एग्रीटेक स्टार्ट-अप** की पहुंच **केवल 1%** है।

आगे की राह

- **किफायती लागत पर प्रौद्योगिकियों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके** किसानों को उन्हें प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकता है।
- छोटे व प्लग एंड प्ले हार्डवेयर की तरह **पोर्टेबल हार्डवेयर मॉडल्स** पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसे आमतौर पर किसानों के समूहों के बीच साझा किया जा सके।
- किसानों के सामने आने वाले जमीनी स्तर के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने और उस दिशा में काम करने के लिए **खेतों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच ताल-मेल की कमी को दूर** करना चाहिए।
- एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स को स्थिर और संधारणीय बनाने के लिए **बेहतर वित्त-पोषण विकल्पों तथा इन्क्यूबेशन केंद्रों की व्यवस्था** की जानी चाहिए।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

✓ सामान्य अध्ययन
✓ निबंध
✓ दर्शनशास्त्र

ENGLISH MEDIUM 2024: 8 AUGUST
हिन्दी माध्यम 2024: 8 अगस्त

ENGLISH MEDIUM 2025: 11 AUGUST
हिन्दी माध्यम 2025: 11 अगस्त

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

7. उद्योग एवं औद्योगिक नीति (INDUSTRY AND INDUSTRIAL POLICY)

7.1. भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उपराष्ट्रपति ने आर्थिक राष्ट्रवाद को देश की **आर्थिक संवृद्धि के लिए सबसे अच्छा** मौलिक कारक बताया है।

आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है?

- **परिभाषा:** आर्थिक राष्ट्रवाद **पारंपरिक रूप से एक ऐसी विचारधारा** है, जिसमें **अर्थव्यवस्था, श्रम और पूंजी निर्माण पर घरेलू क्षेत्रक के नियंत्रण का समर्थन** किया जाता है।

भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद

- भारत में इसका आरंभिक विकास **औपनिवेशिक (यानी ब्रिटिश) शासन के समय** हुआ था।
- इसके सबसे महत्वपूर्ण समर्थकों में **दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, रोमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, जी.वी. जोशी, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी** शामिल थे।

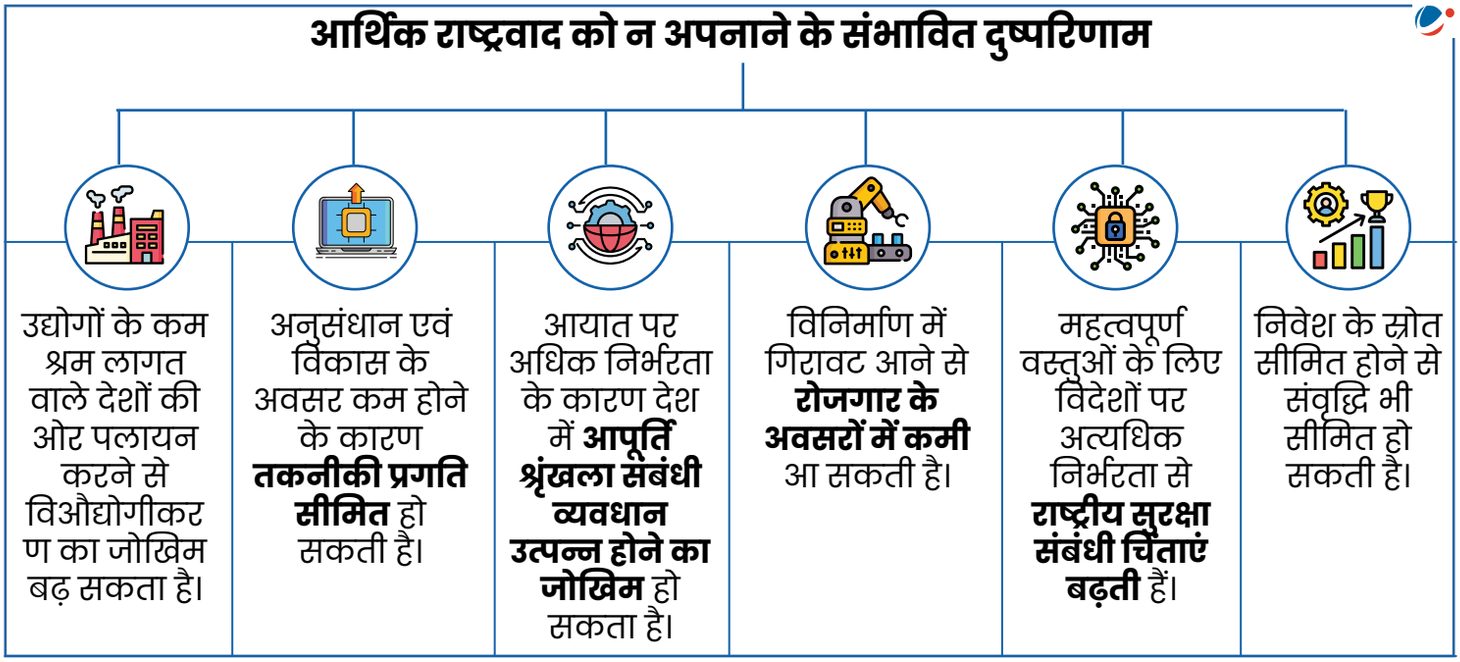

- **दादाभाई नौरोजी** ने "धन की निकासी" के सिद्धांत को पेश किया था। इस सिद्धांत की सहायता से नौरोजी ने यह बताया था कि औपनिवेशिक शासन भारत को कोई आर्थिक व व्यावसायिक लाभ पहुंचाए बिना भारत के संसाधनों को एकतरफा तरीके से ब्रिटेन भेज रहा है।

आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **घरेलू उद्योगों को बढ़ावा:** इनमें उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना, मेक इन इंडिया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) आदि शामिल हैं।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी:** उदाहरण- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, भारतमाला परियोजना।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** भारत रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं जैसे रणनीतिक क्षेत्रकों में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है।
- **अनुसंधान एवं विकास (R&D):** अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों में **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन,** उच्चतर आविष्कार योजना (UAY), आदि शामिल हैं।

8. सेवा क्षेत्रक (Services)

8.1. भारतनेट (Bharatnet)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने भारतनेट परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस परियोजना के क्रियान्वयन की रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही, इसके क्रियान्वयन लिए **ग्राम-स्तरीय उद्यमियों (VLEs) के जरिए लास्ट माइल फाइबर कनेक्शन** प्रदान किया जा रहा है।

भारतनेट का महत्त्व

- **ग्रामीण भारत का आधुनिकीकरण:** यह परियोजना **बैंकिंग, डाकघर जैसी बुनियादी अवसंरचनाओं को डिजिटल बनाकर** देश के ग्रामीण क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करेगी।
- **कृषि क्षेत्रक:** किसान सुविधा, पी.एम.-किसान मोबाइल ऐप और किसान सारथी प्लेटफॉर्म जैसी स्कीम के माध्यम से।
- **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं:** ग्रामीण क्षेत्रों में दीक्षा, NPTEL, MOOC, पी.एम. ई-विद्या आदि योजनाओं और **ई-संजीवनी ऐप** के माध्यम से।
- **ई-कॉमर्स की पहुंच:** ग्राम-स्तरीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से ई-कॉमर्स की पहुंच को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए- सरकार द्वारा शुरू की गई **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स** पहल।
- **रोजगार:** भारतनेट के विस्तार कार्यक्रम से लगभग 2.50 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

भारतनेट को लागू करने में चुनौतियां

- **परियोजना में देरी:** पहले इस परियोजना को 2019 तक पूरा करना था, जबकि नई समय सीमा 2025 तय की गई है।
- **परियोजना की उच्च लागत:** 2020-21 और 2021-22 के बीच एक किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) बिछाने की लागत दोगुनी हो गई है।
- **कम उपयोग:** मार्च 2022 तक, अपेक्षित गांवों में से **केवल 27% को ही नेटवर्क कनेक्टिविटी** प्राप्त हुई थी।
- **सेवा की गुणवत्ता (QoS):** लाइन में बार-बार खराबी, कनेक्शन बंद होने तथा **सर्विस और रिपेयरिंग** हेतु ग्रामीण अधिकारियों की शिकायतों एवं अनुरोधों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।
- **निजी क्षेत्रक की कम भागीदारी:** वर्ष 2022 में आयोजित नीलामी में एक भी बोली प्राप्त नहीं हुई और अंततः निविदा रद्द करनी पड़ी।

8.2. चिकित्सा और आरोग्य/ कल्याण पर्यटन (Medical and Wellness Tourism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मंत्रालय ने **वीजा की एक नई श्रेणी, आयुष वीजा (AYUSH Visa)** बनाने की घोषणा की है। यह आयुष चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगा। वीजा मैनुअल, 2019 के विभिन्न अध्यायों में **आवश्यक संशोधन** किए गए हैं।

चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के बारे में

- **चिकित्सा पर्यटन** एक ऐसा पद है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश के लिए **अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही का वर्णन करने के लिए** किया जाता है।
- **आरोग्य पर्यटन (Wellness Tourism)** वस्तुतः किसी व्यक्ति के कल्याण को बनाए रखने या उसे बढ़ाने से जुड़ी यात्रा है। इसमें अवकाश या व्यवसाय के लिए यात्रा करते समय शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या पर्यावरणीय 'आरोग्यता' को ध्यान में रखा जाता है।

- **ग्लोबल वेलनेस टूरिज्म के अनुसार,** भारत वेलनेस टूरिज्म में 56 मिलियन यात्राओं के साथ 7वें स्थान पर है।

भारत के लिए चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन का महत्त्व

- **विकसित देशों में लंबी प्रतीक्षा अवधि देखने को मिलती है।**
- **बेहतर कनेक्टिविटी:** धर्मशाला जैसे छोटे शहरों को जोड़ने वाली **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना- 'उड़ान (UDAN)'।**
- **वृद्ध आबादी वाले देशों से मांग:** भारत ऐसी आबादी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।

भारत में चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के समक्ष चुनौतियां

- मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे देशों से **क्षेत्रीय प्रतियोगिता** देखने को मिलती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कमी:** भारत में अभी भी JCI द्वारा **मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या अपेक्षाकृत कम** है।
- **बीमाकर्ता द्वारा 'विदेशी चिकित्सा देखभाल' कवर नहीं किया जाना।**
- **अन्य समस्याएं: कुशल जनशक्ति की कमी, समान शुल्क संरचना का अभाव,** पारदर्शिता की कमी।

सरकार द्वारा की गई पहलें

- **बाजार विकास सहायता (Market Development Assistance: MDA) योजना।**
- **राष्ट्रीय आयुष मिशन।**
- हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और आयुष मंत्रालय** ने गुजरात के गांधीनगर में प्रथम 'WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन' आयोजित किया। इसकी थीम थी- **"सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण की ओर** (Towards health and well-being for all)"।
- **आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) को बढ़ावा देना:** यह आरोग्य मेलों, आयुर्वेद पर्व और योग फेस्ट/ उत्सव आदि के आयोजन की सहायता से किया जा सकता है।
- **अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers: NABH)**

आगे की राह

- चिकित्सा उपकरणों के आयात में **छूट/ प्रोत्साहन** दिया जाना चाहिए।
- **चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन कूटनीति** पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। साथ ही, **प्रवासी भारतीयों को आकर्षित** किया जाना चाहिए।
- **सहायक बुनियादी ढांचे का विकास:** उदाहरण के लिए- ऐसे क्षेत्रों में उड़ान योजना (UDAN scheme) का विस्तार करना, जहां प्रमुख आयुष केंद्र स्थित हैं।
- अस्पतालों और आरोग्य केंद्रों का **मजबूत विनियमन** सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी

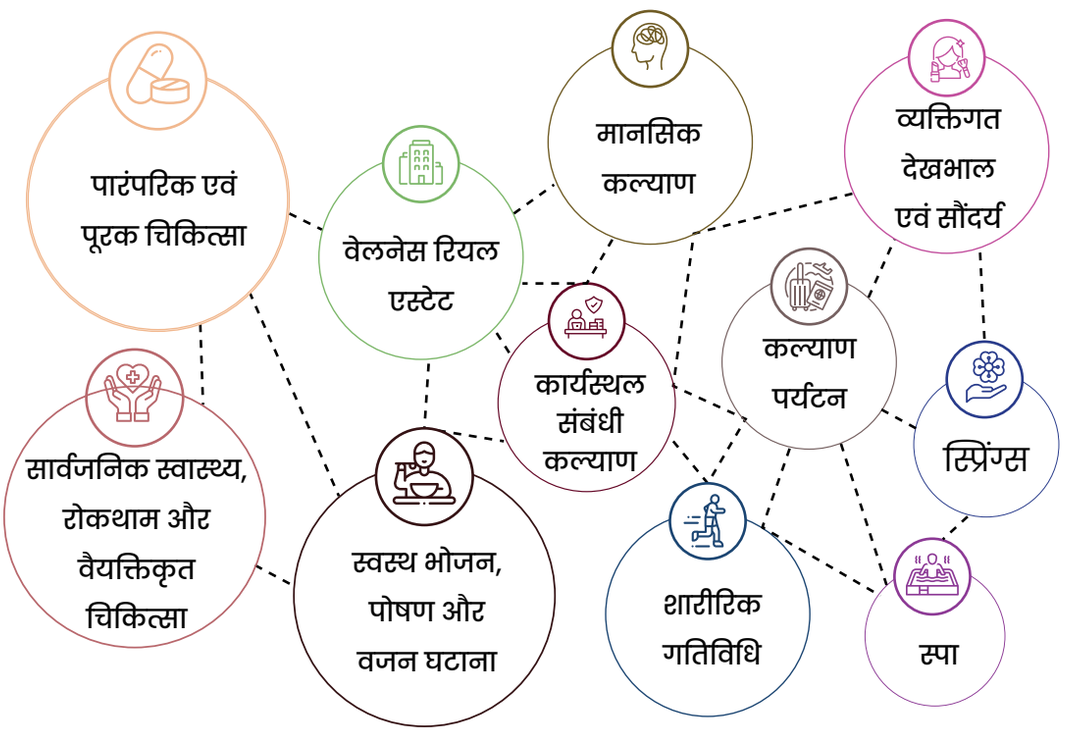

2020 में ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी का आकार **4.4 ट्रिलियन** डॉलर था

8.3. भारत में गेमिंग उद्योग (Gaming Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल (IEIC) और WinZO ने इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 जारी की है।

भारत का गेमिंग उद्योग

- 568 मिलियन यूज़र्स के साथ, **भारत आधिकारिक तौर पर सबसे बड़ा गेमिंग बाजार है।** वैश्विक स्तर पर **हर पांच ऑनलाइन गेमर्स में से एक भारत से है।**
- भारतीय गेमिंग बाजार के **2028 तक 6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।**

गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देने वाले जिम्मेदार कारक:

- $0.17/ GB के साथ **किफायती हाई-स्पीड इंटरनेट** की उपलब्धता।
- 820 मिलियन यूज़र्स के साथ **स्मार्टफोन्स का व्यापक विस्तार।**
- कुल आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी (लगभग 600 मिलियन) बढ़ रही है और खर्च करने योग्य आय में भी बढ़ोतरी हुई है।

गेमिंग क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए हस्तक्षेप

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन एवं विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (AVGC) टास्क फोर्स रिपोर्ट जारी की गई है। साथ ही, राष्ट्रीय AVGC नीति और राष्ट्रीय AVGC उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना संबंधी ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है।

गेमिंग क्षेत्रक में 100% **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति** दी गई है। यह निवेश **इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और IT एवं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (BPM) क्षेत्रकों के तहत स्वचालित मार्ग** के माध्यम से किया जा सकता है।

गेमिंग क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **'इंटरनेट प्रदूषण'** से संधारणीयता संबंधी मुद्दे पैदा हो गए हैं। वैश्विक स्तर पर **इंटरनेट यूज़ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 3.7% का योगदान** करता है।
- वित्तीय साक्षरता की कमी, विनियामक संबंधी जटिलताएं और डेटा सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी मौजूद हैं।
- कुछ मामलों में गेमिंग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है, उदाहरण के लिए- "ब्लू व्हेल चैलेंज"।
- भारत में **गेमिंग उद्योग के लिए एक सुसंगत और व्यापक विनियामकीय फ्रेमवर्क का अभाव** है।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें:

- संधारणीय गेमिंग के लिए **हरित नवाचारों और वर्चुअल परिवेश का उपयोग** किया जाना चाहिए।
- **नीतिगत समर्थन तथा स्टार्ट-अप्स और प्रतिभा विकास का समर्थन** करते हुए एक वैश्विक गेमिंग क्लस्टर स्थापित किया जाना चाहिए।
- **ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के लिए अनुसंधान एवं विकास** को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

9. अवसंरचना (Infrastructure)

9.1. भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक (Logistics Sector of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत की लॉजिस्टिक लागत 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 7.8-8.9% के बीच आंकी गई है। हालांकि, पहले माना जा रहा था कि यह लागत 10% से अधिक है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, 2023 में भारत 38वें स्थान पर है, जो 2018 के 44वें स्थान से बेहतर है।

दक्ष लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का महत्त्व:

- **आपूर्ति श्रृंखला दक्षता:** यह उपभोक्ताओं की मांग को तत्काल पूरा करने और उसी के अनुरूप अपने व्यवसाय की उत्पादन प्रक्रियाओं को दक्ष बनाने के लिए आवश्यक है।
- **कनेक्टिविटी और पहुंच:** दक्ष लॉजिस्टिक्स अवसंरचना से कंपनियों को अधिक ग्राहकों तक अपना उत्पाद पहुंचाने में मदद मिलती है।
- **लागत में कमी और उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि।**
- **रोजगार के अवसर में वृद्धि:** परिवहन, भंडारण, वितरण और इनसे संबंधित सेवाओं में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति (NLP) 2022

- यह नीति पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) के पूरक के रूप में **2022 में आरंभ** की गई थी।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के लक्ष्य:**
  - **भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना:** लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 8-9% के वैश्विक बेंचमार्क के बराबर लाना।
  - **लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार:** भारत का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होना है।
  - एक दक्ष **लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली विकसित** करना।
  - **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति** के तहत **"व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना** (CLAP) शुरू की गई है। इसमें आठ कार्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणाली, सेवा सुधार फ्रेमवर्क आदि शामिल हैं।

2022 में भारत में परिवहन के अलग-अलग साधनों से माल ढुलाई

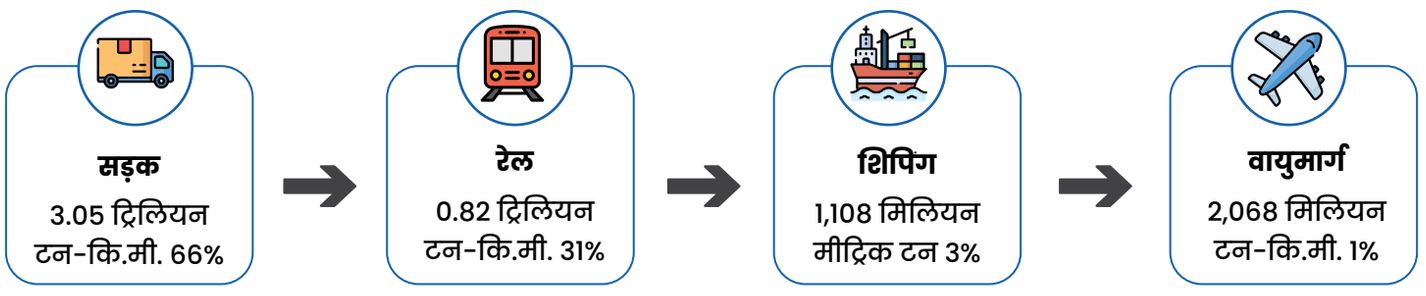

घटक	अब तक की प्रगति
◇ **डिजिटलीकरण** ◇ **निर्यात-आयात (EXIM) लॉजिस्टिक्स** ◇ **राज्य की भागीदारी** ◇ **मुद्दे और शिकायत निवारण**	◇ **उद्योग जगत के 614 से अधिक भागीदारों** ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (ULIP) पर पंजीकरण कराया है। ◇ बंदरगाहों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 60 तथा रेल मंत्रालय की 47 परियोजनाओं को** मंजूरी दी गई है। ◇ अब तक **22 राज्यों** ने अपनी लॉजिस्टिक नीतियों को **अधिसूचित** किया है। ◇ ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विस (E-logs) पोर्टल पर अब तक **लगभग 29 व्यावसायिक संघों** को सूचीबद्ध किया जा चुका है।

9.2. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat New Car Assessment Program: Bharat NCAP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में सेफ्टी टेस्ट के लिए एक स्वदेशी स्टार-रेटिंग प्रणाली शुरू की है। यह रेटिंग **ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS)-197** के अनुरूप है।

भारत NCAP के बारे में

- यह प्रणाली ग्लोबल **न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Global NCAP)** पर आधारित है।
- **किस पर लागू होगा:** यह प्रणाली ऐसे यात्री वाहनों पर लागू होगी, जिनमें ड्राइवर सीट के अलावा आठ (8+1) से अधिक सीटें नहीं हों और वाहन का कुल वजन 3,500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो। साथ ही, ये वाहन भारत में विनिर्मित या भारत में बिकने वाले होने चाहिए।
- **टेस्ट प्रोटोकॉल:** इसके अंतर्गत **एडल्ट ऑक्युपेंट सेफ्टी (AOP), चाइल्ड ऑक्युपेंट सेफ्टी (COP)** और कार में लगाई गई **सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी** का आकलन किया जाएगा।
- **टेस्ट का प्रारूप:** वैसे तो यह टेस्ट **स्वैच्छिक** प्रकृति का है, लेकिन कार विनिर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे AIS-197 मानदंडों के अनुरूप अपने वाहन मॉडल का सेफ्टी टेस्ट करवाएं।

महत्त्व

- **सड़क सुरक्षा:** यह प्रणाली उपभोक्ताओं को कार खरीदने से पहले **सोच-समझकर निर्णय** लेने में मदद करेगी। इससे सुरक्षित कारों की मांग को बढ़ावा मिलेगा।
- **प्रौद्योगिकी:** इससे विनिर्माण प्रक्रियाओं को हालिया सड़क सुरक्षा नियमों के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी। इन नियमों में **अनिवार्य ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और रिवर्स पार्किंग सेंसर** आदि शामिल हैं।
- **लागत प्रभावी:** विदेशों में होने वाले ऐसे सेफ्टी टेस्ट की लागत (2.5 करोड़ रुपये) है, जबकि भारत NCAP के तहत होने वाले **टेस्ट की लागत कम** (लगभग 60 लाख रुपये) होगी।

9.3. रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना {Regional Rapid Transit System (RRTS) Project}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) की शुरुआत हुई। इसके तहत उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद से दुहाई डिपो के लिए **'नमो भारत रैपिडएक्स ट्रेन'** का परिचालन आरंभ हुआ।

RRTS परियोजना के बारे में

- यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने वाली **एक नई, समर्पित, हाई स्पीड, उच्च क्षमता वाली और आरामदायक रेल यात्री परिवहन सेवा है।**
- इसमें रेलगाड़ियों की गति **160 कि.मी./ घंटा** होगी। हालांकि, RRTS को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये **180 कि.मी./ घंटा तक** की गति से यात्रा तय कर सकती हैं।
- NCR में RRTS के विकास का जिम्मा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को सौंपा गया है।

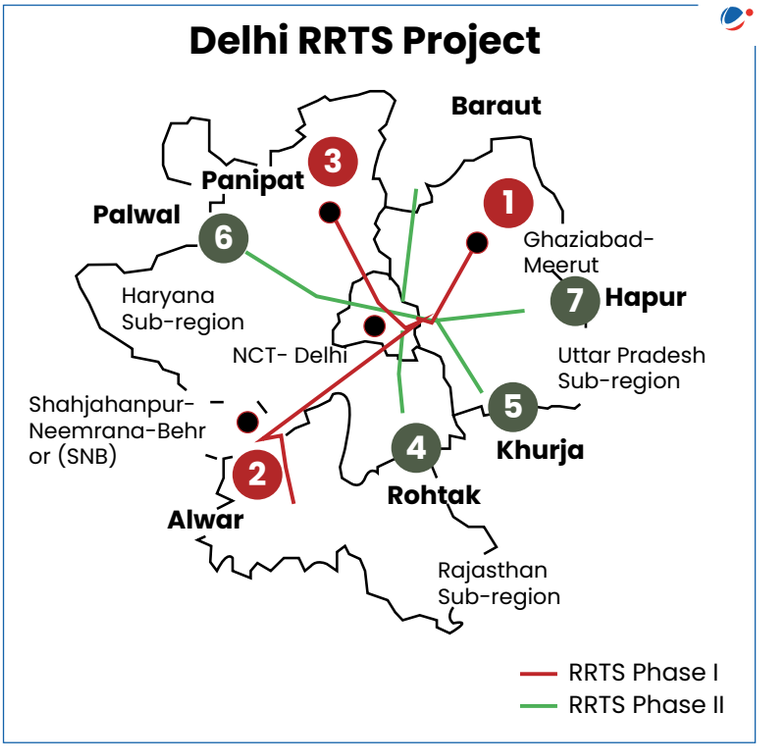

RRTS का महत्त्व

- **आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि:** इसके निर्माण से यात्रा के समय में कमी आएगी।
- **संतुलित आर्थिक विकास:** बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र का **गहन आर्थिक एकीकरण** होगा। इसके परिणामस्वरूप अधिक संतुलित आर्थिक विकास होगा।
- आवागमन में तेजी आने से लोगों को **अधिक रोजगार के अवसर** प्राप्त होंगे तथा स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए **बेहतर सुविधाएं** प्राप्त होंगी।
- **कम उत्सर्जन:** इस परिवहन साधन से कम कार्बन का उत्सर्जन (कम कार्बन फुटप्रिंट) होगा।
- **सड़क पर भीड़ में कमी:** सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले बहुत सारे यात्री RRTS के तहत रेलयात्रा को प्राथमिकता देंगे।

आगे की राह

- निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के स्तर को कम करने के लिए **कास्टिंग यार्ड** (कंक्रीट वाली संरचनाएं) **पर जल पंपों की व्यवस्था** की जानी चाहिए। साथ ही, मार्ग के अलग-अलग बिंदुओं पर **वायु निगरानी उपकरण** लगाए जाने चाहिए ताकि **वायु-प्रदूषण** को कम किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि **RRTS का नया डिजाइन, शहरी योजना के लक्ष्यों,** पर्यावरणीय संधारणीयता और मौजूदा परिवहन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के अनुरूप हो।
- **परिवहन क्षेत्रक की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का इसमें उपयोग** करना चाहिए। इनमें स्वचालित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली, संचार नेटवर्क, किराया संग्रह प्रणाली जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इनसे RRTS के सुचारू और सुविधाजनक संचालन में मदद मिलेगी।

RRTS के विकास में चुनौतियां

वित्त-पोषण की समस्या: रेलवे नेटवर्क के रख-रखाव और संचालन के लिए **अधिक मात्रा में अग्रिम निवेश की आवश्यकता** होती है। इससे सार्वजनिक बजट पर बोझ बढ़ जाता है।	**पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं:** RRTS परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों से तात्कालिक रूप से **दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर हो सकती है।**	**परियोजना के निर्माण से जुड़ी चुनौतियां:** RRTS परियोजना के निर्माण चरण में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग चुनौतियां शामिल हैं। इनमें सुरंग बनाना, पुल निर्माण और रेल लाइनों को मार्ग के अनुरूप सही से बिछाना शामिल हैं।

9.4. समर्पित माल ढुलाई गलियारा (Dedicated Freight Corridors: DFC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अक्टूबर, 2023 में **ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC)** का निर्माण कार्य पूरा हो गया।

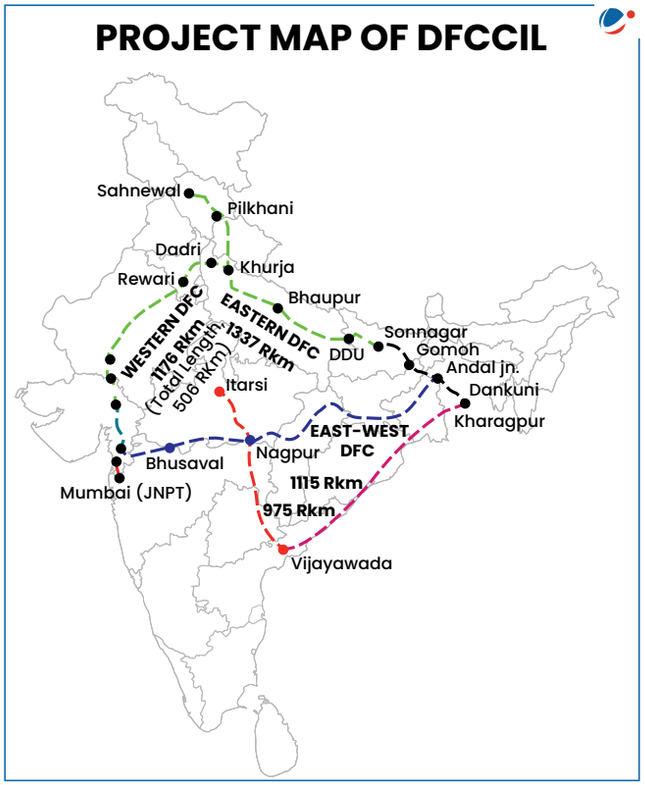

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है?

- यह एक प्रकार का **रेलवे कॉरिडोर** है। इसे वस्तुओं और अन्य कमोडिटी के तीव्र और दक्ष परिवहन के लिए बनाया जा रहा है। ये रेलवे कॉरिडोर्स **उच्च गति और उच्च ढुलाई क्षमता** से युक्त होंगे।
- **उद्देश्य:** DFCs का उद्देश्य भारत के रेलवे नेटवर्क पर **माल ढुलाई यातायात को यात्री यातायात से** अलग करके मौजूदा रेलवे नेटवर्क पर भीड़भाड़ को कम करना है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस परियोजना का क्रियान्वयन **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL)** कर रही है।

DFC का महत्त्व

- **क्षमता में वृद्धि:** DFC मौजूदा रेल मार्गों पर यातायात के बोझ को कम करेगा। इससे सवारी गाड़ियों के आवागमन में सुधार होगा। साथ ही, इससे माल ढुलाई सेवाओं की बढ़ती मांग को भी पूरा किया जा सकेगा।
- **अवसंरचना में सुधार:** इसके अंतर्गत आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाना, रेल मार्गों का विद्युतीकरण और नई रेल लाइनें बिछाना शामिल हैं।
- **सभी क्षेत्रों का समान विकास:** उदाहरण के लिए- ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न क्षेत्रों (जैसे- झारखंड और ओडिशा) से देश के अन्य हिस्सों (जैसे- उत्तर प्रदेश और हरियाणा) के बिजली संयंत्रों और औद्योगिक केंद्रों तक कोयला पहुंचाने के लिए परिवहन मार्ग प्रदान करेगा। इससे झारखंड और ओडिशा जैसे पिछड़े राज्यों का भी विकास होगा।

9.5. मैरीटाइम अमृतकाल विज़न 2047 (MARITIME AMRIT KAAL VISION 2047)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 दस्तावेज को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (2023) जारी किया गया। इसे पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने तैयार किया था।

भारत में समुद्री क्षेत्रक की वर्तमान स्थिति

- भारत में समुद्री क्षेत्रक के तहत मुख्य रूप से **पत्तन, बंदरगाह, नौवहन, जलयान निर्माण तथा जलयानों की मरम्मत और अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली** शामिल हैं।
- **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** समुद्री क्षेत्रक से संबंधित सभी मुद्दों का प्रबंधन करने वाला नोडल केंद्रीय मंत्रालय है।

मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 (11 व्यापक थीम या विषय)

- **संधारणीय और हरित समुद्री क्षेत्रक:** इसका उद्देश्य सभी **14 प्रमुख पत्तनों (Major ports) को कार्बन न्यूट्रल** बनाना है।
- **पत्तनों का आधुनिकीकरण।**

- इसमें **जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण के लिए वैश्विक भागीदारी में शामिल होने की बात कही गई है।** इससे भारत को शीर्ष 5 वैश्विक जहाज निर्माण केंद्रों में जगह बनाने में मदद मिलेगी।
- **भारत के पत्तनों की परिवहन क्षमता में सुधार करना:** प्रमुख पत्तनों पर 100% PPP मॉडल को लागू किया जाएगा। इसके जरिए प्रमुख पत्तनों की **परिवहन क्षमता में चार गुना वृद्धि** करके 10,000 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **लॉजिस्टिक्स क्षमता में वृद्धि:** प्रमुख पत्तनों पर ठहरने वाले जलयानों की संख्या और अंतर्देशीय जलमार्गों की हिस्सेदारी को **6% से बढ़ाकर 12%** तक किया जाएगा।
- **पेशेवर समुद्री सेवा प्रदान करना; विश्व स्तरीय शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की उपलब्धता** सुनिश्चित करना;

भारत के समुद्री क्षेत्रक को विकसित करने का महत्त्व

- **हिंद महासागर में मौजूद अवसरों का दोहन:** यह खनिज संसाधनों से समृद्ध है और यह कई प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता भी है।
- **खाद्य सुरक्षा: भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।**
- **क्षेत्रीय शक्ति बनने की आकांक्षा:** भारत के पास हिंद महासागर क्षेत्र में **निवल सुरक्षा प्रदाता** और एक विश्वसनीय भागीदार की भूमिका निभाने की संभावना और क्षमता है।

9.5.1. ब्लू इकोनॉमी 2.0 (BLUE ECONOMY 2.0)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 में "ब्लू इकोनॉमी 2.0 योजना" की घोषणा की गई।

ब्लू इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी 2.0 के बारे में

- ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था आर्थिक संवृद्धि, बेहतर आजीविका, रोजगार सृजन आदि के लिए समुद्री संसाधनों का **संधारणीय** उपयोग है। इसमें इन संसाधनों के दोहन के समय समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- ब्लू इकोनॉमी 2.0 "भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था" की क्षमताओं का पता लगाने के लिए भारत की मौजूदा पहलों में और **अधिक प्रगति प्राप्त करने का एक ब्लूप्रिंट** है। इसका उद्देश्य जलवायु लोचशील (Climate resilient) गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में **पुनर्बहाली और अनुकूलन उपाय** भी शामिल हैं।
  - यह योजना एकीकृत और बहु-क्षेत्रक एप्रोच को अपनाते हुए **तटीय जलीय-कृषि (Aquaculture/** जलीय जीवों की खेती) **और समुद्री-कृषि (Mariculture/ समुद्री या जवारनदमुख क्षेत्र में)** पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- **ब्लू इकोनॉमी के विकास को सीमित करने वाले कारक:**
  - समुद्र में **सुरक्षा संबंधी खतरा** हमेशा बना रहता है। इसका एक हालिया उदाहरण **हूती विद्रोही समूह द्वारा लाल सागर** में जहाजों पर हमला है।
  - **अन्य कारक:**
    - अवसंरचना की कमी है,
    - पोत परिवहन उद्योग के संचालन में अधिक लागत आती है,
    - ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने और प्रबंधन की लागत भी अधिक है, आदि।
- **ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम:**
  - **डीप ओशन मिशन** शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य **हिन्द महासागर में धातुओं** का खनन करना है।
  - **प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना** चलाई जा रही है।
  - **सागरमाला परियोजना** शुरू की गई है।

- » **ब्लू इकोनॉमी नीति** का मसौदा तैयार किया गया है।
- » एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन।
- » मैरीटाइम इंडिया विजन 2030.

9.5.2. अंतर्देशीय जलमार्ग (INLAND WATERWAYS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने **'मौजूदा और नए राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों** के विकास एवं विस्तार' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अंतर्देशीय जल परिवहन का महत्त्व

- ◇ **पर्यावरण के अनुकूल:**
  - » प्रति टन/कि.मी. ईंधन खपत बहुत कम है।
  - » इसका CO_2 उत्सर्जन ट्रकों के मुकाबले 50 प्रतिशत कम है।
  - » यह खतरनाक (ज्वलनशील इत्यादि) और ओवर डायमेंशनल या लंबे चौड़े कार्गो के लिए परिवहन का सुरक्षित साधन है।
- ◇ **सामरिक महत्त्व: रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण** पूर्वोत्तर क्षेत्र को सड़कों की खराब स्थिति के कारण भारत के मुख्य भू-भाग के साथ कनेक्टिविटी संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- ◇ **अन्य लाभ:**
  - » इससे सड़क और रेल मार्ग पर दबाव कम होगा।
  - » इसके उपयोग से सड़क पर भीड़भाड़ और दुर्घटनाएं कम होंगी।

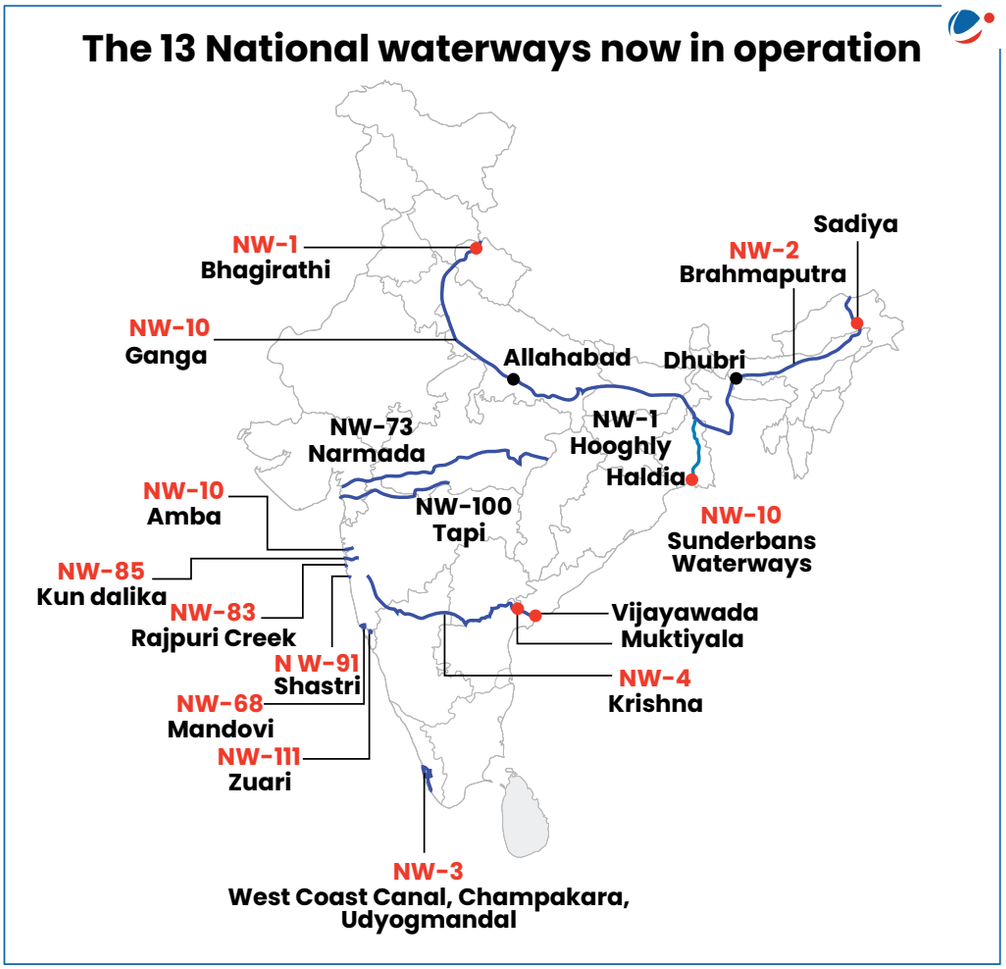

IWT के विकास से जुड़े मुद्दे

- ◇ **परियोजनाओं का उपयोग न होना:** कुल अधिसूचित 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से केवल 23 चालू अवस्था में हैं।
- ◇ **सड़क और रेल प्रणालियों की तुलना में कम निवेश,** भीतरी इलाकों में खराब कनेक्टिविटी आदि।
- ◇ **कई जगहों पर नदियों की कम गहराई:** 1,500-2,000 टन की क्षमता वाले पोतों/ जहाजों को चलाने के लिए नदी की उचित गहराई बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- ◇ **पर्यावरण पर प्रभाव:** हालांकि, अंतर्देशीय जलमार्गों के संचालन के दौरान पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनके विकास से जुड़े निर्माण कार्य नदी पारितंत्र में बदलाव लाते हैं।
  - » उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय जलमार्ग-I पर नदी तल की सफाई (ड्रेजिंग) और निर्माण कार्यों ने गंगा डॉल्फिन की गतिविधियों को बाधित किया है।

अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए उठाए गए कदम				
NW-1 पर नौवहन की क्षमता बढ़ाने के लिए **जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP)** को विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग और निवेश सहायता से लागू किया जा रहा है।	अलग-अलग राष्ट्रीय जलमार्गों पर रो-रो **(रोल-ऑन-रोल-ऑफ) और रो-पैक्स (यात्री के साथ रोल-ऑन/ रोल-ऑफ) फेरी सेवा** शुरू की गई हैं।	**कारोबार में सुगमता के लिए डिजिटल समाधानों को अपनाया जा रहा है, जैसे कि: CAR-D (कार्गो डेटा) पोर्टल और PANI (पोर्टल फॉर एसेट एंड नेविगेशन इन्फॉर्मेशन)।)**	**मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत IWT:** प्राथमिकता वाले 23 राष्ट्रीय जलमार्गों पर अवसंरचना का विस्तार और विकास।	**ब्लू इकोनॉमी विजन 2047 के तहत IWT की अभिन्न भूमिका**

आगे की राह

» वित्तीय प्रोत्साहन, **सार्वजनिक-निजी भागीदारी**, जलमार्ग कनेक्टिविटी, **पर्यावरण का ध्यान रखना,** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

10. खनन एवं विद्युत क्षेत्रक (MINING AND ENERGY)

10.1. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority: CEA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

15 अक्टूबर, 2023 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की **50वीं वर्षगांठ** मनाई गई।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के बारे में

- **यह विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत गठित की गई एक सांविधिक संस्था है।**
- **कार्य एवं जिम्मेदारियां:**
  - यह **केंद्र सरकार** को राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मामलों पर **सलाह** देता है।
  - यह विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के लिए **तकनीकी मानक निर्धारित** करता है।
  - यह **मीटर लगाने की शर्तें** भी निर्धारित करता है आदि।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के लिए नई चुनौतियां	आगे की राह
◇ भारत के एनर्जी मिक्स में सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। ऐसे में ग्रिड के साथ इनका एकीकरण करना, संतुलन स्थापित करना और ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ◇ विद्युत क्षेत्रक के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ-साथ **साइबर हमलों का खतरा** भी बढ़ गया है। ◇ **भारत में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना** को अधिक अपग्रेड और इनका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है।	◇ CEA को नवीन **ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों** की खोज करने और उन्हें अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ◇ **डेटा एनालिटिक्स और पूर्वानुमानित रखरखाव:** ग्रिड संबंधी योजना निर्माण और प्रबंधन के लिए **पूर्वानुमान मॉडल** को लागू करना चाहिए। ◇ CEA को पावर ग्रिड को संभावित साइबर खतरों से बचाने के लिए **साइबर सुरक्षा नीतियों को तैयार करने और उसे लागू करने** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ◇ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग और उनके सर्वोत्तम उदाहरणों से सीखने से CEA को बेहतर तरीकों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए- **बेंगलुरु में स्थापित बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र** के साथ सहयोग।

11. नवाचार और उद्यमिता (INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP)

11.1. पेटेंट (Patents)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** (DPIIT) ने **पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024** अधिसूचित किए हैं।

पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 के मुख्य प्रावधान

- **सर्टिफिकेट ऑफ इनवेंटरशिप:** इसके द्वारा **पेटेंट किए गए आविष्कार में इंवेंटर्स के योगदान को चिन्हित किया** जाएगा।
- **समय-सीमा:** पहले यह सीमा **48 माह** थी, अब यह घटाकर **31 माह** कर दी गई है।
- **नवीनीकरण शुल्क: पेटेंट नवीनीकरण शुल्क में 10% की कमी** की गई है। हालांकि, शुल्क में कमी का यह लाभ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कम-से-कम 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम भुगतान करने पर ही दिया जाएगा।
- **पेटेंट के क्रियान्वयन संबंधी विवरण दाखिल करने की आवृत्ति:** इसे प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार से घटाकर प्रत्येक तीन वित्त वर्ष में एक बार कर दिया गया है।

पेटेंट का विनियमन

वैश्विक स्तर पर

- **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)** पेटेंट और **अन्य बौ**द्धिक संपदा अधिकारों (IPR) को नियंत्रित करता है।
- **1994 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के एक समझौते** के रूप में **ट्रिप्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू (TRIPS)** पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत में,

- पेटेंट अधिनियम, 1970 के जरिए पेटेंट का विनियमन किया जाता है। **इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट, 1911** को निरस्त करने के लिए यह कानून बना था।
- **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति-2016**

निष्कर्ष

किसी देश के आर्थिक विकास में पेटेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मजबूत पेटेंट सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए IPAB आदि की पुनः स्थापना जैसी पहलें शुरू की जा सकती हैं। साथ ही, अकादमियों/ संस्थानों तथा औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि देश में पेटेंट दाखिल करने की संख्या में वृद्धि हो सके।

11.2. ग्रामीण भारत में स्टार्ट-अप्स (Start-ups in Rural India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्टार्ट-अप्स ग्रामीण भारत में विशेषकर **कृषि क्षेत्रक में आशा की किरण बनकर उभर रहे हैं।**

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्टार्ट-अप्स की भूमिका

- **ग्रामीण विकास:** पारंपरिक आजीविका संबंधी पद्धतियों से जुड़े मुद्दों का समाधान करने पर केंद्रित स्टार्ट-अप्स का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार होने से समग्र **ग्रामीण आर्थिक सुधार** को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही, **'आत्मनिर्भर गांव'** की परिकल्पना को भी साकार किया जा सकता है।

- ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका के अवसर भी पैदा करते हैं, जैसे- **मीशो, उड़ान** आदि।
- **शिक्षा और कौशल विकास:** कुछ एड-टेक स्टार्ट-अप्स हैं- **पाठशाला, लर्निंग डिलाइट,** आदि।
- **वित्तीय समावेशन:** फिनटेक स्टार्ट-अप्स ग्रामीण क्षेत्रों में **सूक्ष्म ऋण (Microcredit), बीमा और डिजिटल** भुगतान जैसी किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जैसे**- बैंक साथी।**
- **महिला सशक्तीकरण:** उदाहरण के लिए- **लिज्जत पापड़।**
- **पर्यावरणीय संधारणीयता:** उदाहरण के लिए- **एग्री विजय, अर्थशास्त्र इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड** आदि।

ग्रामीण स्टार्ट-अप्स से जुड़ी चुनौतियां

शहरी क्षेत्रों में आपूर्तिकर्ताओं के साथ कनेक्टिविटी का अभाव	वित्तीय पहुंच	समर्थन प्रणाली का अभाव	शुरू में ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगकर्ता/ ग्राहकों को तलाशने में कठिनाई	ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित वित्त-पोषण तंत्र

आगे की राह

- **नीतिगत और संस्थागत समर्थन:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे- अवसंरचना की कमी, वित्त तक पहुंच और कौशल विकास का समाधान करना चाहिए।
- **सरकार और NGO के बीच सहयोग:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स के विकास के लिए प्रयासों और संसाधनों को एकजुट करने हेतु सरकार एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

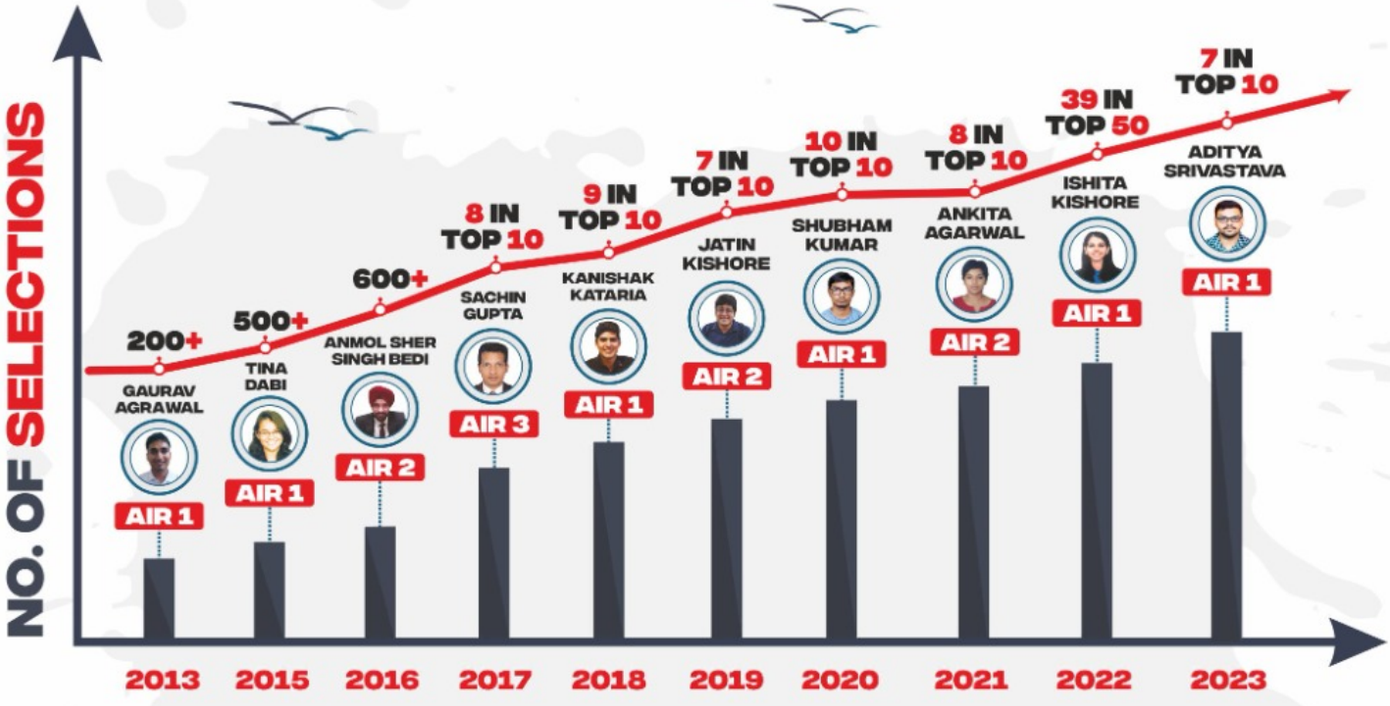

LIVE/ONLINE
Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 12 AUG, 9 AM | 14 AUG, 1 PM | 17 AUG, 5 PM
27 AUG, 9 AM | 29 AUG, 1 PM | 31 AUG, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
30 AUG, 5:30 PM | 19 JULY, 8:30 AM

AHMEDABAD: 20 AUG | BENGALURU: 21 AUG | BHOPAL: 5 SEPT | CHANDIGARH: 9 SEPT
HYDERABAD: 29 AUG | JAIPUR: 21 AUG | JODHPUR: 11 JULY | LUCKNOW: 5 SEPT | PUNE: 5 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 22 अगस्त, 1 PM | 18 जुलाई, 1 PM | **BHOPAL:** 23 जुलाई | **LUCKNOW:** 18 जुलाई | **JAIPUR:** 16 अगस्त | **JODHPUR:** 11 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066
AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest Congratulations
to all Successful Candidates

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**
from various programs of **Vision IAS**

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

मोहन लाल

TOPPERS' TALK

अर्पित कुमार

TOPPERS' TALK

विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न

UPSC मेन्स 2024 के लिए व्यापक रणनीति

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची